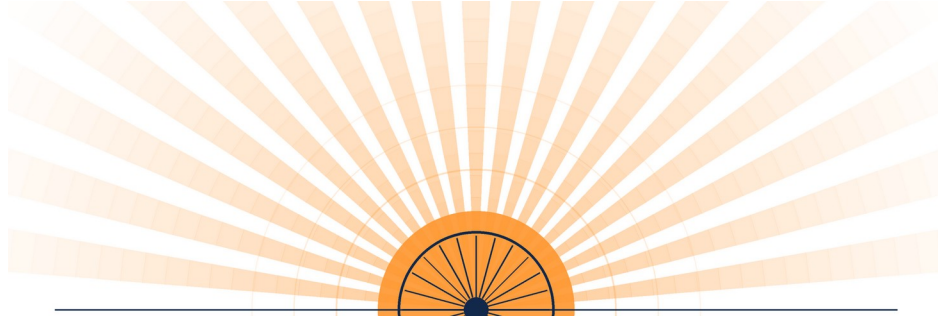




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family
Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“लूट, क़त्लेआम और डकैती को वे साम्राज्य का झूठा नाम देते हैं; वे वीराना रच देते हैं और उसे शांति कह देते हैं।”
— टैसिटस, ‘एग्रिकोला’ (98 ई.), अध्याय 30 (कैलगेक्स का भाषण; अनुवाद: चर्च और ब्रॉड्रिब)

द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 30 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 30 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“जीवन और स्वतंत्रता की ऐसी पवित्रता के बिना, अराजक समाज और विधि से शासित समाज के बीच का अंतर अपना सारा अर्थ खो देगा।”

— न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना (असहमति मत) • ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) 2 SCC 521, भारत का उच्चतम न्यायालय, असहमति मत, 28 अप्रैल 1976

उपयोग करें (Use in): स्वतंत्रता और निवारक निरोध (आज का उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसमें संभल के एक आरोपी का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोध रद्द किया गया, यह कहते हुए कि पुलिस हिरासत में किया गया इकबालिया बयान उसका आधार नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश पर ₹10 लाख का हर्जाना लगाया गया)। न्यायमूर्ति खन्ना ने यह बात आपातकाल के दौरान अकेले लिखी थी, जब बहुमत ने माना कि कोई भी निरुद्ध व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की माँग नहीं कर सकता; बाद में पुट्टास्वामी (2017) में नौ न्यायाधीशों ने कहा कि बहुमत गलत था। इसका उपयोग अनुच्छेद 21 और 22, NSA तथा सलाहकार बोर्डों पर GS2 के उत्तरों में, और स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा पर निबंधों में करें: निवारक निरोध विधि के शासन का अपवाद है, इसलिए इसकी व्याख्या कड़ाई से होनी चाहिए। तर्क दें कि निरोध तभी हो जब निरोध करने वाले अधिकारी की अपनी संतुष्टि ग्राह्य सामग्री पर बनी हो, सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति को औपचारिकता भर के लिए नहीं, सचमुच सुनें, और दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो।

“जो अतीत पर नियंत्रण रखता है, वह भविष्य पर नियंत्रण रखता है; जो वर्तमान पर नियंत्रण रखता है, वह अतीत पर नियंत्रण रखता है।”

— जॉर्ज ऑरवेल • ‘नाइन्टीन एटी-फोर’ (1949), भाग एक, अध्याय 3 (पार्टी का नारा)

उपयोग करें (Use in): कौन तय करे कि कौन-सा इतिहास पढ़ाया जाए (आज NCERT की कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक जारी हुई, जिसमें फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के अध्याय हटा दिए गए हैं और 1000-1700 ई. को “प्रतिरोध और लचीलेपन” (Resistance and Resilience) के काल के रूप में प्रस्तुत किया गया है)। इसका उपयोग शिक्षा नीति, NCERT और पाठ्यक्रम में केंद्र-राज्य संतुलन पर GS2 के उत्तरों में, और स्मृति, पहचान तथा सत्ता पर निबंधों में करें: पाठ्यपुस्तक हमेशा एक चयन होती है, और विद्यार्थी उस अतीत पर प्रश्न नहीं उठा सकता जो उसे कभी दिखाया ही नहीं गया। तर्क दें कि पाठ्यक्रम इतिहासकार लिखें और राज्यों तथा शिक्षकों से खुला, प्रकाशित परामर्श हो, एक ही निर्णय थोपने के बजाय स्रोत और बहस पढ़ाई जाएँ, और क्षेत्रीय इतिहास को जगह मिले पर स्वतंत्रता और समानता के वे विचार न छूटें जिन पर नागरिकता टिकी है।

“कोई बात तब सही है जब वह जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सौंदर्य को बनाए रखने की ओर प्रवृत्त हो। जब वह इसके विपरीत प्रवृत्त हो, तब वह गलत है।”

— एल्डो लियोपोल्ड • ‘ए सैंड काउंटी ऑलमनैक’ (1949), निबंध ‘द लैंड एथिक’

उपयोग करें (Use in): ‘बंजर भूमि’ कहकर नकारे गए घास के मैदान (आज का PNAS अध्ययन कि प्राचीन घास के मैदान एक बार नष्ट हो जाएँ तो कम से कम एक सदी तक अपना पुराना स्वरूप नहीं लौटा पाते, और राष्ट्रीय घास-मैदान पुनर्स्थापन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय चराई नीति की माँग)। इसका उपयोग जैव विविधता, भूमि-उपयोग वर्गीकरण, वनीकरण लक्ष्यों और सोन चिरैया (Great Indian Bustard) पर GS3 के उत्तरों में, और विकास तथा प्रकृति पर निबंधों में करें: किसी पारितंत्र को इस कसौटी पर परखा जाए कि वह अखंड बना रहता है या नहीं, न कि इस पर कि वह राजस्व के किसी बाबू को उत्पादक दिखता है या नहीं। तर्क दें कि खुले प्राकृतिक पारितंत्रों को ‘बंजर भूमि’ की श्रेणियों से बाहर किया जाए, घास के मैदानों पर पेड़ न लगाए जाएँ, सोलापुर में सोन चिरैया और कच्छ में लेसर फ्लोरिकन को लौटाने जैसी पुनर्स्थापना हो, और पशुपालकों के चराई अधिकार सुरक्षित रहें।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 10 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने संभल के आरोपी का NSA के तहत निरोध रद्द किया, कहा कि पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान इसका आधार नहीं बन सकता
- 1.2 निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 पुराने रूप में लौटाया, फॉर्म 10 के आँकड़ों से पता चला कि एजेंट प्रतिदिन 10 की सीमा लाँघ रहे हैं

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 ₹1 लाख करोड़ का RDI कोष अटका: DST से धन न मिलने पर TDB ने आवेदन लेना बंद किया

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 केंद्र ने 2026-27 का खाद्यान्न लक्ष्य 373.93 मिलियन टन रखा, जो पिछले वर्ष की उपज से कम है

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 जयशंकर: अमेरिका और चीन "प्रतिस्पर्धी मुद्रा" में हैं; जोखिम-न्यूनीकरण और विविधीकरण पर बल
- 4.2 दो दशक बाद अमेरिकी सैनिक इराक के अंतिम अड्डों से लौटे; ईरान-समर्थित समूहों ने जीत का दावा किया

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में ग्रेट निकोबार की सुनवाई रोकने का आग्रह किया, याचिकाकर्ता की वाद-योग्यता पर आपत्ति
- 5.2 उत्तराखंड ने पहली हिमनद-झील पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाई, उधर गंडक ने बिहार में तटबंध तोड़ा
- 5.3 नष्ट हुए पुराने घास के मैदानों को उबरने में सदी से अधिक लगती है, PNAS अध्ययन का निष्कर्ष; पारिस्थितिकीविद् ने बहाली कार्यक्रम माँगा

6. समाज (Society)

- 6.1 NCERT की नई कक्षा 9 की पुस्तक में यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय 'प्रतिरोध'
- 6.2 महाराष्ट्र के कुछ गाँवों ने 60-70 वर्षों से पंचायत चुनाव में मतदान नहीं किया

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 7.1 NCRB के 2024 के आँकड़ों में साइबर अपराध 17.9% बढ़े, सर्वेक्षण के अनुसार रिकवरी रिश्त और जान-पहचान से तय होती है

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान, और उसी के आधार पर निरोध का आदेश देने को कहा गया ज़िला मजिस्ट्रेट
- 9.2 केस 2 — एक दिन में हज़ार से ऊपर नाम-हटाने की आपत्तियाँ, और उनमें से हर एक पर निर्णय करने को बाध्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 17 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.2
- 11.2 GS1 कोना — History: अहोम राज्य और सराईघाट का युद्ध (1671)
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 असहमति का अभाव, सहमति की उपस्थिति नहीं है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	सर्वोच्च न्यायालय ने संभल NSA निरोध रद्द किया, UP पर ₹10 लाख का जुर्माना क्यों ज़रूरी: GS2, अनुच्छेद 21-22: निवारक निरोध के रक्षोपाय और पुलिस हिरासत में दिए इकबालिया बयान मुख्य परीक्षा का नियमित विषय हैं; और NSA तथा साक्ष्य अधिनियम प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य हैं।
2.1	₹1 लाख करोड़ का RDI कोष अटका, TDB ने आवेदन लेना बंद किया क्यों ज़रूरी: GS3, संसाधन जुटाना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी: ANRF, TDB और कोष की द्वि-स्तरीय संरचना प्रारंभिक परीक्षा के प्रमुख तथ्य हैं; क्रियान्वयन की विफलता मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त है।
4.1	जयशंकर: अमेरिका-चीन 'प्रतिस्पर्धी मोड' में, भारत को जोखिम घटाना होगा क्यों ज़रूरी: GS2, महाशक्तियों की नीतियों का भारत पर प्रभाव: सामरिक स्वायत्तता, क्वाड और संयुक्त राष्ट्र के 'शत्रु राज्य' खंड पूछे जाने की संभावना वाले विषय हैं।
5.1	केंद्र ने ग्रेट निकोबार पर FRA सुनवाईयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन माँगा क्यों ज़रूरी: GS3 पर्यावरण और GS2 जनजातीय कल्याण: FRA की सहमति, नियमगिरि और PVTG दोनों प्रश्नपत्रों में आते रहते हैं; SLP 5 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है।
7.1	साइबर अपराध 17.9% बढ़े; रिश्तत और संपर्क तय करते हैं वसूली क्यों ज़रूरी: GS3 साइबर सुरक्षा: NCRB के आँकड़े, IT अधिनियम की धाराएँ 66C/66D और 14C, साथ में पुलिस के राज्य सूची का विषय होने का पक्ष, मुख्य परीक्षा के प्रश्न के लिए उपयुक्त हैं।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की दोनों खबरें एक ही बात कहती हैं: राज्य ने एक प्रक्रिया का सहारा लेकर वह नतीजा हासिल करना चाहा जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। संभल में निवारक निरोध के कानून ने उस व्यक्ति को जेल में रखा, जिसे अदालतें जमानत दे चुकी थीं; मतदाता सूचियों के मामले में एक सॉफ्टवेयर बदलाव ने वह काम कर दिया, जो केवल नियमों में संशोधन से हो सकता था। दोनों ही मामलों में सुधार उस तंत्र के बाहर से आया जिससे चूक हुई थी।

1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने संभल के आरोपी का NSA के तहत निरोध रद्द किया, कहा कि पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान इसका आधार नहीं बन सकता

सूदा निवारक निरोध और गिरफ्तारी के सुरक्षा उपाय (कडी 6) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी अदालतें निरोध पर अंकुश कस रही हैं: जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) का एक आदेश रद्द हुआ, गुंडा अधिनियम के दुरुपयोग की भर्त्सना हुई, और सर्वोच्च न्यायालय ने लिखित आधार बताए बिना गिरफ्तारी को असंवैधानिक ठहराया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 29 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act - NSA), 1980 के तहत मुल्ला अफ़रोज़ का निरोध रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि वह एक महीने के भीतर उसे ₹10 लाख की क्षतिपूर्ति (costs) दे। अफ़रोज़ को 17 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया था; मामला 24 नवंबर, 2024 की उस हिंसा का था जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद के अदालत-आदेशित सर्वे के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी। न्यायिक हिरासत में रहते हुए ही संभल के ज़िला मजिस्ट्रेट ने 13 अक्टूबर, 2025 को उसे NSA की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध कर दिया; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू ने कहा कि “पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान अपने आप में” ऐसे निरोध का आधार नहीं हो सकता। निवारक निरोध का अर्थ है भविष्य के किसी कृत्य को रोकने के लिए किसी को बंद करना, अतीत के कृत्य की सज़ा देने के लिए नहीं; न्यायालय ने कहा कि यहाँ निरोध “निवारक नहीं, दंडात्मक” था और उसका उद्देश्य अफ़रोज़ की ज़मानत को विफल करना था।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अदालत-आदेशित मस्जिद सर्वे से हिंसा भड़की → FIR के 54 दिन बाद अफ़रोज़ गिरफ्तार, हिरासत में कथित इकबालिया बयान → ज़मानत मिलने के करीब आते ही ज़िला मजिस्ट्रेट ने NSA लगाया → राज्य ने एक वर्ष के निरोध की पुष्टि की, उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा → सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति सहित रद्द किया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 22(3)-(7) निवारक निरोध के लिए रक्षोपायों की अलग संहिता है — खंड (3) निवारक निरोध के बंदियों को खंड (1) और (2) में दी गई गिरफ्तारी संबंधी सामान्य सुरक्षा से बाहर रखता है। इसके स्थान पर तीन महीने से अधिक के निरोध के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का एक सलाहकार बोर्ड आवश्यक है, निरोध के आधार यथाशीघ्र बताने होते हैं, और बंदी को अभ्यावेदन देने का शीघ्रतम अवसर मिलना चाहिए।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 निरोध की शक्ति कार्यपालिका के हाथ में रखता है — धारा 3(2) केंद्र या राज्य को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति के लिए हानिकार कृत्यों को रोकने हेतु किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की शक्ति देती है, और धारा 3(3) के अनुसार राज्य यह शक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को सौंप सकता है। मामले सलाहकार बोर्ड को भेजे जाते हैं और निरोध की अधिकतम अवधि बारह महीने है। सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) में इस अधिनियम को वैध ठहराया था।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. निवारक निरोध स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा की सतत GS2 कसौटी है — यह GS2 की पंक्ति “भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल ढाँचा” के अंतर्गत आता है, और इस निर्णय ने इकबालिया बयानों और ज़मानत के बिंदु जोड़ दिए हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबाल अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25; यही प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) में भी आगे लाया गया है)।
- अनुच्छेद 20(3) किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि बारह महीने है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टिकोण — स्वतंत्रता और व्यवस्था: न्यायालय ने व्यवस्था की रक्षा इस आग्रह से की कि उसके लिए सही औज़ार ही प्रयोग हो — संभल में लोक व्यवस्था की चिंता वास्तविक थी। किंतु

	अफ़रोज़ पहले से ही आपराधिक प्रक्रिया के भीतर था, जहाँ अनचाही ज़मानत का उत्तर उसके विरुद्ध अपील करना है; NSA का प्रयोग करके कार्यपालिका ने दूसरे रास्ते से अदालत के आदेश को पलट दिया। विवेकशील अधिकारी निवारक निरोध को किसी नए, स्वतंत्र खतरे के लिए सुरक्षित रखेगा, मुक़दमे के विकल्प के रूप में कभी नहीं। 2. चार जाँचों से आदेश निकल गया; सामग्री को केवल सर्वोच्च न्यायालय ने परखा — आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट, राज्य की पुष्टि, दो अभ्यावेदनों और उच्च न्यायालय, सबसे होकर गुज़रा; फिर भी उसकी पहचान के लिए इस्तेमाल हुई CCTV फुटेज उसे कभी दी ही नहीं गई। जब आंतरिक रक्षोपाय 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' के आगे झुक जाते हैं, तो वे सार के बजाय केवल औपचारिकता की जाँच करने लगते हैं। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय हर आदेश की परख नहीं कर सकता, इसलिए समाधान राज्य की अपनी समीक्षा व्यवस्था में ही खोजना होगा। 3. राज्य पर लगी क्षतिपूर्ति सबक तो देती है, पर भुगतान करदाता करता है — ₹10 लाख की राशि एक अमूर्त अन्याय को कीमत में बदल देती है। नोएडा के NSA मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़िला मजिस्ट्रेट पर वेतन-दंड के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे पता चलता है कि अदालतें व्यक्तिगत दायित्व तय करने से हिचकती हैं। राजकोष से दी जाने वाली क्षतिपूर्ति ईमानदार अधिकारियों को तो बचा लेती है, पर कमज़ोर आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले को कभी नहीं छूती; रद्द किए गए निरोधों की विभागीय समीक्षा एक मध्यम मार्ग है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“निवारक निरोध ज़मानत देने वाले आदेश को दरकिनार करने का रास्ता नहीं बन सकता।” इस टिप्पणी के आलोक में, भारत में निवारक निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपायों की पर्याप्तता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — कागज़ पर मौजूद रक्षोपायों को व्यवहार की कसौटी पर तौलिए और निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — निरोध रोकता है, दंड नहीं देता — निवारक निरोध को परिभाषित कीजिए; संभल निर्णय और उसमें लगी ₹10 लाख की क्षतिपूर्ति का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — कागज़ पर रक्षोपाय मज़बूत हैं — मूल्यवर्धन: ए.के. रॉय (1982); पीठ ने निरोध को अनुच्छेद 21 का 'अत्यंत दुर्लभ' अपवाद कहा। 4. मुख्य भाग — व्यवहार में हर स्तर व्यक्तिपरक संतुष्टि के आगे झुक जाता है — अफ़रोज़ का आदेश चार जाँचों से निकल गया; पाँच जाँच-बिंदुओं का फ़्लोचार्ट बनाइए और जो एक बिंदु कारगर रहा, उसे चिह्नित कीजिए। 5. मुख्य भाग — उपचारों को सार पर असर डालना होगा — सामग्री का पूर्ण प्रकटीकरण, क्षतिपूर्ति, अधिकारी की समीक्षा। 6. निष्कर्ष — नाम नहीं, कारण चाहिए — लिखित कारण अनिवार्य हों जो नई सामग्री को भविष्य के खतरे से जोड़ें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िला मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस आपसे कहती है कि अभी-अभी ज़मानत पाए एक अभियुक्त को, मुख्यतः उसके हिरासत में दिए इकबालिया बयान के आधार पर, NSA के तहत निरुद्ध कर दीजिए। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं इस आधार पर निरोध से इनकार कर दूँगा, क्योंकि पुलिस के समक्ष इकबाल अग्राह्य है और सर्वोच्च न्यायालय अब यह कह चुका है कि वह निरोध का आधार नहीं बन सकता। मैं पूछूँगा कि क्या कोई नई, स्वतंत्र सामग्री भविष्य में अशांति की वास्तविक संभावना दिखाती है, और क्या वह सारी सामग्री उसे उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि ज़मानत ग़लत दी गई थी, तो अभियोजन को उसे चुनौती देनी चाहिए।

1.2 निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 पुराने रूप में लौटाया, फ़ॉर्म 10 के आँकड़ों से पता चला कि एजेंट प्रतिदिन 10 की सीमा लौघ रहे हैं

मुद्दा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) (कडी 9) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाताओं का सत्यापन पिछली गहन सूची से किया जाता है। दिल्ली में 47.6 लाख नाम हटे; निर्णीत पश्चिम बंगाल अपीलों में से 93% में मतदाता बहाल हुए; राज्य ECINet सॉफ़्टवेयर पर सवाल उठा रहे हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग (Election Commission - EC) ने उन राज्यों में, जहाँ मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) नहीं चल रहा, नए मतदाता पंजीकरण के आवेदन यानी ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 के मूल रूप को फिर से लागू कर दिया है। शनिवार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि SIR के दौरान फ़ॉर्म 6 में जोड़ा गया वह घोषणा-पत्र, जो आवेदक या उसके माता-पिता को पिछली गहन सूची से जोड़ता है, केवल SIR के समय ही उपयोग होगा; मंगलवार को माता-पिता और

दादा-दादी के ब्योरे माँगने वाले खाने हटा दिए गए। दो निर्वाचन आयुक्त मई और अगस्त 2026 में टिप्पणियों के माध्यम से इस समस्या की ओर ध्यान दिला चुके थे। इसके अलावा, दिल्ली की फॉर्म 10 रिपोर्ट, जो मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियों की सार्वजनिक सूची होती है, दिखाती है कि 21-27 सितंबर के बीच चार लोगों ने प्रतिदिन 10 से अधिक आपत्तियाँ दाखिल कीं, जबकि निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश किसी दल के बुथ-स्तरीय एजेंट (BLA) के लिए 10 की सीमा तय करते हैं; ECINET पोर्टल में ऐसी कोई सीमा नहीं है। दिल्ली में दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़कर 30 अक्टूबर हो गई है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बिहार SIR में फॉर्म 6 के साथ घोषणा-पत्र जुड़ा → IT बदलाव से हर जगह उसके बिना ऑनलाइन फॉर्म 6 भरना बंद → दो आयुक्तों ने आपत्ति की → आयोग ने उसे SIR वाले राज्यों तक सीमित किया → फॉर्म 10 के आँकड़ों ने दूसरी कमी उजागर की: थोक आपत्तियों पर कोई सीमा नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1950 मतदाता सूचियों का कानून है — धारा 21 सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण (गहन पुनरीक्षण सहित) का, धारा 22 सुधार का और धारा 23 नाम जोड़े जाने का प्रावधान करती है; यह सब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) के माध्यम से होता है। केंद्र द्वारा बनाए गए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules) में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 निर्धारित है। 2. अनुच्छेद 324 और 326 निर्वाचन आयोग की शक्ति और मतदाता का अधिकार तय करते हैं — अनुच्छेद 324 मतदाता सूचियों की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों को उन नागरिकों के वयस्क मताधिकार पर आधारित करता है जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है और जो कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. मतदाता सूचियाँ वह जगह हैं जहाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम मतदान के अधिकार से मिलता है — GS2 पाठ्यक्रम में “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ” शामिल हैं, और SIR ने नाम हटाने के रक्षोपायों तथा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मुख्य परीक्षा का जीवंत विषय बना दिया है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत फॉर्म 6 नाम जुड़वाने के लिए, फॉर्म 7 आपत्ति या नाम हटाने के लिए, और फॉर्म 8 सुधार या निवास-स्थान बदलने के लिए है। ● मतदाता सूचियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आती हैं; निर्वाचनों का संचालन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत। ● अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टिकोण — स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व: आयोग ने स्वयं को इसलिए सुधारा क्योंकि उसके अपने सदस्यों ने आपत्ति की — आयोग का कहना है कि फॉर्म 6 में कभी संशोधन नहीं हुआ, फिर भी SIR वाले राज्यों के बाहर ऑनलाइन आवेदक घोषणा-पत्र के बिना उसे जमा नहीं कर पा रहे थे। चूंकि नियमों में संशोधन केवल केंद्र कर सकता है, इसलिए नागरिक से क्या प्रस्तुत करवाना है, यह सॉफ्टवेयर की शर्त से तय करना कानूनी रूप से कमज़ोर आधार पर टिका है। उलटफेर दो आयुक्तों की लिखित आपत्तियों के बाद हुआ: यानी बहु-सदस्यीय आयोग ने स्वयं अपनी जाँच की। अधिकारी के लिए सबक यह है कि पंजीकरण की कोई भी नई शर्त नियम के रूप में अधिसूचित की जानी चाहिए, ऐप में कोड नहीं की जानी चाहिए। 2. नाम हटाने के मामलों में सॉफ्टवेयर चुपचाप नियम-निर्माता बन गया है — प्रतिदिन 10 की सीमा दिशानिर्देशों में है, ECINET में नहीं, और आधार से लॉग-इन करने वाला एजेंट किसी भी आम नागरिक जैसा ही दिखता है। कर्नाटक के बाबलेश्वर में एक दिन में मिली फॉर्म 7 की 1,373 आपत्तियों में से 1,363 केवल 10 लोगों की थीं। दिल्ली में एक सप्ताह में 92 नाम जोड़ने के फॉर्मों के मुकाबले 519 आपत्तियों का निपटारा हुआ, जबकि हर आपत्ति पर नोटिस, सुनवाई और तर्कसहित आदेश ज़रूरी है। इससे बोझ मतदाता पर आ जाता है। 3. नए मतदाता से दादा-दादी के ब्योरे माँगना निजता की कसौटी पर विफल है — द हिंदू में पंखुड़ी अग्रवाल SIR को “निगरानी का तीसरा प्रकार” कहती हैं। पुट्टस्वामी (2017) के आनुपातिकता परीक्षण के अनुसार डेटा का संग्रह किसी वैध उद्देश्य के लिए आवश्यक होना चाहिए। सूची की शुद्धता ऐसा ही उद्देश्य है, पर SIR के बाहर 18 वर्ष के युवा के दादा-दादी का रिकॉर्ड उसके लिए आवश्यक नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS)	परीक्षण कीजिए कि ऑनलाइन मतदाता-सूची मंचों की संरचना भारत में मतदान के अधिकार को किस प्रकार मज़बूत या कमज़ोर कर सकती है। (10 अंक, 150 शब्द)

QUESTION)	
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों प्रभावों की साक्ष्य सहित पड़ताल कीजिए; बताइए कि कौन-सा प्रबल है। भूमिका — सूचियों का पुनरीक्षण अब ECINET से होता है — SIR वाले राज्यों के बाहर ऑनलाइन फॉर्म 6 के घोषणा-पत्र को निर्वाचन आयोग द्वारा वापस लिए जाने का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — संरचना तब मदद करती है जब वह कागज़ी कार्रवाई घटाए और सार्वजनिक लेखा-परीक्षण की कड़ी छोड़े — फॉर्म 10 की सूचियाँ आपत्तियों को दृश्य बनाती हैं। मुख्य भाग — संरचना तब नुकसान करती है जब कोड कानूनी सीमाओं को छोड़ दे — मूल्यवर्धन: बाबलेश्वर की 1,373 आपत्तियों में से 1,363 केवल 10 लोगों की थीं। फॉर्म 7 की प्रक्रिया (दाखिल करना → नोटिस → सुनवाई → तर्कसहित आदेश) का चित्र बनाइए और वह जगह चिह्नित कीजिए जहाँ थोक में फ़ाइलिंग से दबाव पड़ता है। निष्कर्ष — कानून को मंच में कोड कीजिए — कठोर रूप से लागू सीमाएँ, अधिसूचित नियम और थोक में आपत्ति दाखिल करने वालों का लेखा-परीक्षण।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और पाते हैं कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 400 से अधिक फॉर्म 7 आपत्तियाँ दाखिल की हैं, जिनमें अधिकांश एक ही समुदाय के विरुद्ध हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं हर आपत्ति को ऐसा दावा मानूँगा जिसे सिद्ध किया जाना है, ऐसा नाम-हटाव नहीं जिसे बस निपटा दिया जाए, और कोई भी आदेश देने से पहले हर प्रभावित मतदाता की सुनवाई करूँगा। जहाँ पैटर्न झूठी घोषणाओं की ओर इशारा करे, वहाँ मैं मामला कानूनी कार्रवाई के लिए ज़िला निर्वाचन अधिकारी को सौंपूँगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सीमा को लागू करवाने का अनुरोध करूँगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

भारत में उत्पादन का सबसे कमजोर कारक भूमि या श्रम नहीं, बल्कि नई प्रौद्योगिकी के लिए जोखिम पूंजी (Risk Capital) है, और राज्य ने इसे उपलब्ध कराने का वादा किया है। आज की खबर दिखाती है कि ₹1 लाख करोड़ के वादे की कीमत उतनी ही है जितना उसे पहुँचाने वाली नली वहन कर सके। अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) कोष आबंटन की कमी से नहीं, बल्कि धन जारी न होने, फंड प्रबंधकों की नियुक्ति न होने और एक कर-निर्णय के अभाव में अटका है।

2.1 ₹1 लाख करोड़ का RDI कोष अटका: DST से धन न मिलने पर TDB ने आवेदन लेना बंद किया

मुद्दा RDI Fund and private R&D (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने निजी डीप-टेक कंपनियों को छह वर्ष तक दीर्घकालिक और सस्ता ऋण देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (Research, Development and Innovation – RDI) कोष बनाया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अधीन वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने 29 सितंबर को नोटिस जारी कर बताया कि “प्रशासनिक कारणों” से इस माह के बाद धन-आमंत्रण बंद कर दिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष के लाभार्थियों का चयन इस समय केवल TDB कर रहा है, और उसे नए प्रस्तावों के लिए धन नहीं मिला है, जबकि कोष के संरक्षक DST को ₹23,000 करोड़ आबंटित किए जा चुके हैं। TDB के ₹2,000 करोड़ अप्रैल में समाप्त हो गए, जब 22 कंपनियों को ₹2,192 करोड़ के सुलभ ऋण (Soft Loans) की पेशकश की गई; अगस्त में चुनी गई 13 और कंपनियों को आशय-पत्र (Letter of Intent) नहीं मिले हैं। चयन की व्यवस्था “द्वितीय स्तर के फंड प्रबंधकों” (Second Level Fund Managers – SLFM) के माध्यम से चलनी थी, जो कंपनियों को चुनने और वित्तपोषित करने वाले मध्यस्थ हैं, पर अपेक्षित 30-40 निजी SLFM अब तक नियुक्त नहीं हुए हैं। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में संसाधन जुटाना और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

निजी कंपनियाँ जोखिम भरे और धीमे शोध से कतराती हैं → नवंबर 2025 में RDI कोष बनता है → केवल TDB ऋण देता है और अप्रैल तक अपने ₹2,000 करोड़ खर्च कर देता है → निजी SLFM नियुक्त नहीं होते और BIRAC कर-निर्णय की प्रतीक्षा में है → DST से नई राशि जारी न होने पर एकमात्र नली बंद हो जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

- 1. RDI योजना दो स्तरों में ऋण देती है, शीर्ष पर ANRF है** — अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation – ANRF) के भीतर एक विशेष प्रयोजन कोष पहला स्तर है; वह धन द्वितीय स्तर के फंड प्रबंधकों को देता है, जो क्वांटम, अंतरिक्ष और AI जैसे उभरते क्षेत्रों की कंपनियों को ऋण देते हैं या उनमें निवेश करते हैं। ANRF की स्थापना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023 (Anusandhan National Research Foundation Act, 2023) के तहत हुई, जिसने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (Science and Engineering Research Board Act, 2008) को निरस्त किया।
- 2. TDB उद्योग को ऋण देने वाला वैधानिक निकाय है; BIRAC एक कंपनी है** — प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (Technology Development Board Act, 1995) के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण करने वाली कंपनियों को ऋण और इक्विटी सहायता देने के लिए किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council – BIRAC) जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक गैर-लाभकारी कंपनी है, इसलिए ऋण के इक्विटी में बदलने पर मिलने वाले लाभांश से उसके सामने कर संबंधी प्रश्न खड़े होते हैं, जो वैधानिक बोर्ड के सामने नहीं आते।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. भारत का नवाचार-अंतराल निजी अनुसंधान एवं विकास में है** — GS3 में “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास” शामिल है। भारत अनुसंधान पर GDP के 1% से काफ़ी कम खर्च करता है, जिसमें कारोबारी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग दो-पंचमांश है, इसलिए नवाचार से जुड़े उत्तरों में अब RDI कोष का उल्लेख आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023 से हुई; प्रधानमंत्री उसके शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं।
- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के तहत हुई।
- RDI कोष के अंतर्गत सुलभ ऋण परियोजना लागत के 50% तक होता है; शेष राशि कंपनी को गैर-सरकारी स्रोतों से जुटानी होती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. निजी कंपनियाँ तीन कारणों से शोध में कम निवेश करती हैं, जिन्हें अकेला बाज़ार नहीं सुलझा**

	सकता — शोध जोखिम भरा है: अधिकांश परियोजनाएँ विफल होती हैं, जिनकी कीमत बैंक नहीं आँक सकते। वह धीमा है: डीप-टेक से आय आने में उससे अधिक समय लग सकता है जितना वेंचर फंड प्रतीक्षा करते हैं। और उसके लाभ रिसकर बाहर चले जाते हैं: प्रतिद्वंद्वी और व्यापक अर्थव्यवस्था बिना भुगतान किए लाभ पाते हैं, इसलिए आविष्कारक को मूल्य का केवल एक हिस्सा मिलता है। जोखिम, दीर्घ गर्भावधि और बाह्य लाभ (Spillovers) से उपजी यह बाज़ार विफलता ही धैर्यवान सार्वजनिक पूँजी को उचित ठहराती है। 2. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: राज्य ने सही साधन चुना, पर उसे पहुँचाने की नली नहीं बनाई — निजी फंड प्रबंधकों को कंपनियाँ चुनने देना उचित है, क्योंकि अधिकारी स्टार्ट-अप को परखने में कमज़ोर होते हैं। परंतु इस ढाँचे की निर्भरता निजी SLFM, एक कर-निर्णय और DST से समय पर धन जारी होने पर थी, और इनमें से कुछ भी नहीं आया। जब राज्य आबंटन के लिए बाज़ार पर भरोसा करता है, तब भी उसे अपना हिस्सा तेज़ी से निभाना होता है। एक विवेकशील अधिकारी योजना में धन जारी करने की समय-सारणी और SLFM की समय-सीमाएँ लिखता, ताकि एक फ़ाइल की देरी कोष को न रोक सके। 3. हितों के टकराव का विवाद गति और सत्यनिष्ठा को शत्रु जैसा दिखाता है; वे शत्रु नहीं हैं — द इंडियन एक्सप्रेस ने 10 अगस्त को बताया था कि पहले चुने गए 22 प्राप्तकर्ताओं में से 15 के निवेश-संबंध चयन समिति के सात सदस्यों से थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं को अलग कर लिया था। इसका उत्तर चयन को धीमा करना नहीं, बल्कि स्वयं को अलग करने के निर्णयों, अंकों और कारणों को प्रकाशित करना है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“अनुसंधान वित्तपोषण में भारत की समस्या कोष के आकार से कम और उसे पहुँचाने की व्यवस्था से अधिक जुड़ी है।” अनुसंधान, विकास एवं नवाचार कोष के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — रूपरेखा बनाम क्रियान्वयन को तौलिए और निर्णय दीजिए कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। 2. भूमिका — ₹1 लाख करोड़ का वादा, एक वर्ष में केवल ₹2,192 करोड़ बाहर — DST से धन न मिलने के कारण TDB ने आवेदन बंद किए। 3. जोखिम, दीर्घ गर्भावधि और बाह्य लाभ धैर्यवान सार्वजनिक पूँजी को उचित ठहराते हैं — बाज़ार विफलता को सरल शब्दों में समझाइए। 4. कोष पर्याप्त है; नली अवरुद्ध है — SLFM की देरी, BIRAC का कर-प्रश्न, जारी न हुआ धन; मूल्य-वर्धन — 300 से अधिक आवेदकों में से 35 का चयन। 5. सत्यनिष्ठा को गति के साथ चलना होगा — स्वयं को अलग करने के निर्णय और अंक सार्वजनिक कीजिए। आरेख: DST → ANRF कोष → SLFM → कंपनियाँ, अवरोध चिह्नित। 6. निष्कर्ष — धन का जारी होना फ़ाइलों से नहीं, उपलब्धि-चरणों से जोड़िए — समयबद्ध SLFM नियुक्ति, कर-निर्णय और सार्वजनिक रिपोर्टिंग।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप DST के सचिव हैं और एकमात्र फंड प्रबंधक ने आवेदन लेना बंद कर दिया है। इस माह आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं तुरंत TDB को एक किस्त जारी करूँगा, ताकि दूसरे दौर की 13 कंपनियों को आशय-पत्र मिल सकें। मई में अनुशंसित निजी SLFM की अधिसूचना की तिथि तय करूँगा, और BIRAC के कर-प्रश्न को शीघ्र निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय के पास ले जाऊँगा। एक मासिक सार्वजनिक डैशबोर्ड देरी को शुरू में ही उजागर कर देगा।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

अल नीनो के वर्ष में केंद्र ने खाद्यान्न का लक्ष्य पिछले साल की उपज से नीचे रखा है और साथ ही कहा है कि कोई संकट नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर दोनों बातें सही हो सकती हैं, पर सूखे की मार झेल रहे किसी एक तालुका में दोनों ग़लत। अखिल भारतीय आँकड़े और गाँव के कुएँ के बीच की यही दूरी वह जगह है जहाँ खाद्य नीति की असली परीक्षा होती है।

3.1 केंद्र ने 2026-27 का खाद्यान्न लक्ष्य 373.93 मिलियन टन रखा, जो पिछले वर्ष की उपज से कम है

सूदा सूखा और रबी मौसम की तैयारी (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार • विकास और समता

अब तक की कहानी कमज़ोर मानसून और प्रबल होते अल नीनो के बीच केंद्र ने राज्यों के साथ रबी की योजना समय से पहले शुरू कर दी, जबकि महाराष्ट्र ने सूखा घोषित करने का वादा किया, जिसे NDRF के नियम 5 अक्टूबर तक टालते हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। रबी फ़सलों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद मंगलवार, 29 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में वर्षा की कमी लगभग 12% है, पर इससे फ़सल उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, और अल नीनो के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोई “बड़ा संकट” नहीं है, द हिंदू ने बताया। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के समय-समय पर गरम होने की परिघटना है, जो प्रायः भारत के मानसून को कमज़ोर करती है। केंद्र ने 2026-27 के लिए 373.93 मिलियन टन (mt) खाद्यान्न का लक्ष्य रखा है, जो 2025-26 के वास्तविक उत्पादन 376.56 mt से 2.63 mt कम है; इसमें रबी के लिए 177.72 mt शामिल है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य अल नीनो के वैज्ञानिक आकलन पर आधारित है और ख़रीफ़ की उपज पिछले वर्ष से अधिक रहेगी; पिछले वर्ष का लक्ष्य 362 mt था। केंद्र राज्यों से मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ किसानों को समझाने के बारे में भी बात करेगा। पाठ्यक्रम से संबंध: GS3 में फ़सल पद्धति और खाद्य सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गर्मियों में अल नीनो प्रबल होता है → मानसून लगभग 12% कम रहकर समाप्त होता है, मराठवाड़ा में कहीं अधिक → केंद्र राज्यों के साथ रबी की योजना जल्दी शुरू करता है → राष्ट्रीय सम्मेलन 2026-27 का लक्ष्य पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़रा नीचे तय करता है → राष्ट्रीय आँकड़ा आश्वस्त करता रहता है, पर गाँव टैकरो पर निर्भर हो जाते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अल नीनो, ला नीना और हिंद महासागर द्विध्रुव भारत की वर्षा को प्रभावित करते हैं — अल नीनो (El Niño), यानी मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत का असामान्य रूप से गरम होना, ऊपर उठती हवा को भारत से दूर खिसका देता है और प्रायः मानसून को कमज़ोर करता है; ला नीना (La Niña), इसकी शीतलन अवस्था, प्रायः मानसून को मज़बूत करती है। दोनों मिलकर ENSO, यानी अल नीनो-दक्षिणी दोलन (El Niño–Southern Oscillation), बनाते हैं। धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole), जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर अधिक गरम रहता है, अल नीनो के सुखाने वाले प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 उपज के नीचे बिछा सुरक्षा-जाल है — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act) ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को रियायती खाद्यान्न का हक़ देता है: प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा और अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा। भारतीय खाद्य निगम (FCI) इसके लिए और एक सामरिक भंडार के लिए अनाज की ख़रीद और भंडारण करता है, इसलिए कमी की भरपाई सबसे पहले केंद्रीय भंडारों से होती है, राशन कार्डों से नहीं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. मानसून की विफलता GS3 का बार-बार आने वाला ढाँचा है — GS3 में “बफ़र स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे” तथा आपदा प्रबंधन शामिल हैं। अल नीनो का वर्ष इन्हें एक साथ लाता है, और उत्तरो में जलवायु संकेतों को ख़रीद, भंडार और राहत से जोड़ना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अल नीनो, अल नीनो-दक्षिणी दोलन की गर्म अवस्था है, जिसकी पहचान मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत में समुद्री सतह के औसत से अधिक तापमान से होती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के परिवार प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न के हक़दार हैं।
- सूखा राज्य सरकारें घोषित करती हैं, केंद्र की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management) के अनुसार।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. कम लक्ष्य ईमानदार नियोजन है, संकट की स्वीकारोक्ति नहीं — लक्ष्य प्रायः साल-दर-साल बढ़ते हैं; इसलिए पिछले साल की उपज से नीचे लक्ष्य रखना संकेत है कि केंद्र को रबी पर चोट की आशंका है, जो मिट्टी की नमी और जलाशयों पर निर्भर है। यथार्थवादी संख्या से ख़रीद, आयात और भंडार-निकासी की योजना घबराहट में नहीं, समय रहते बन पाती है। प्रतिपक्षी मत यह है कि 373.93 mt फिर भी पिछले वर्ष के 362 mt लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति ख़तरे में नहीं है।
2. Lens — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: टैकर राहत हैं, पाइप से पानी सुधार था

	— द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मराठवाड़ा के 76 में से 74 तालुका सूखा-प्रभावित हैं और 277 टैंकर 160 गाँवों को पानी दे रहे हैं, जिनमें केवल तीन सरकारी हैं, जबकि किसान प्रति टैंकर ₹1,500 तक चुकाते हैं। क्षेत्र में जल जीवन मिशन का केवल लगभग आधा काम पूरा हुआ है। टैंकर कुछ हफ्ते की मोहलत देते हैं; पूरी हुई पाइपलाइनें और पुनर्भरित जलभृत बरसाँ की। समझदार अधिकारी राहत पर खर्च करता है, पर सूखे से निपटने की तैयारी को सुधार-कार्य से मापता है। 3. राष्ट्रीय पर्याप्तता क्षेत्रीय संकट को ढँक देती है — यदि लातूर की फ़सल 48% कम वर्षा से नष्ट भी हो जाए, तो भी भारत अपनी अनाज की ज़रूरतें केंद्रीय भंडारों से पूरी कर सकता है। लेकिन वहाँ का किसान अनाज नहीं, आमदनी गुँवाता है, इसलिए जवाब बीमा दावों, आदान सहायता और मनरेगा (MGNREGA) के काम में होना चाहिए। कुल लक्ष्य खाद्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं, आजीविका के प्रश्न का नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि अल नीनो भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि आय के लिए किस प्रकार अलग-अलग ढंग से खतरा बनता है, और इस जोखिम के प्रबंधन में बफ़र स्टॉक की क्या भूमिका है। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों खतरों और भंडार क्या कर सकते हैं, इसकी पड़ताल कीजिए। 2. भूमिका — मानसून 12% कम है, फिर भी लक्ष्य रिकॉर्ड के आसपास है — अल नीनो और 373.93 mt के लक्ष्य पर लगभग 20 शब्द। 3. आपूर्ति सुरक्षित है, क्योंकि केंद्रीय भंडार और NFSA कमी को सोख लेते हैं — मूल्य-संवर्धन — 2025-26 की 376.56 mt उपज ने अपने 362 mt लक्ष्य को पार किया। 4. आय सुरक्षित नहीं है, जैसा मराठवाड़ा दिखाता है — टैंकरों पर निर्भरता और अधूरा जल जीवन कार्य। आरेख — अल नीनो → कमज़ोर मानसून → दो तीर: खाद्य आपूर्ति (भंडार) और आय (बीमा, मनरेगा)। 5. निष्कर्ष — भंडार थाली की रक्षा करते हैं; बीमा और पानी किसान की — लगभग 15 शब्द।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. सूखा-पीड़ित मराठवाड़ा ज़िले के कलेक्टर के रूप में आप टैंकर आपूर्ति का निष्पक्ष प्रबंधन कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं टैंकर स्रोत की विफलता और आबादी के आधार पर आवंटित करूँगा और सूची सार्वजनिक करूँगा, ताकि आपूर्ति रसूख के पीछे न चले। निजी टैंकरों पर GPS और सरपंच के हस्ताक्षर वाले फेरों के लॉग न किए गए फेरों के बिलों को रोकेंगे। मैं बेकार पड़े कुओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत करूँगा, लंबित जल जीवन कार्य तेज़ी से निपटाऊँगा, और सुनिश्चित करूँगा कि किसान फ़सल बीमा दावे समय पर दाखिल करें।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज दो महाशक्तियों की चालें भारत की गुंजाइश तय कर रही हैं: एक ओर अमेरिका-चीन संबंध, जिसमें होड़ भी है और बातचीत भी; दूसरी ओर ईरान से चल रहे युद्ध के बीच इराक़ से अमेरिका की वापसी। दोनों में भारत दर्शक भर है, पर दौंव पर उसका बहुत कुछ लगा है। सही रास्ता किसी एक खेमे को चुनना नहीं, बल्कि उन खेमों की संख्या बढ़ाना है जिनका सहारा भारत ले सकता है।

4.1 जयशंकर: अमेरिका और चीन “प्रतिस्पर्धी मुद्रा” में हैं; जोखिम-न्यूनीकरण और विविधीकरण पर बल

मुद्रा शी-ट्रंप शिखर वार्ता और भारत (कडी 5) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी शी जिनपिंग की वाशिंगटन यात्रा से अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा; टिप्पणीकारों ने चेतावनी कि नियंत्रित प्रतिद्वंद्विता भारत को केवल नियम मानने वाला देश बना सकती है।

समाचार (THE NEWS) न्यूयॉर्क। पिछले सप्ताह हुई ट्रंप-शी बैठक पर अपनी पहली टिप्पणी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार, 28 सितंबर को एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कहा कि अमेरिका और चीन के बीच “सहमति के कुछ बिंदु” हैं, लेकिन “कुल मिलाकर वे प्रतिस्पर्धी मुद्रा में” हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। चूंकि “दोनों जिन बातों पर सहमत हो सकते हैं, उनकी सीमाएँ हैं”, इसलिए अन्य देश पूछ रहे हैं: “जोखिम कैसे घटाएँ? विविधीकरण कैसे करें? नए साझेदार कौन हैं?” जोखिम-न्यूनीकरण (De-risking) का अर्थ है संबंध तोड़ बिना किसी एक आपूर्तिकर्ता या साझेदार पर निर्भरता घटाना। आज नई बात यह है कि आधिकारिक रूप से कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर “लगभग सहमति” बन चुकी है, जबकि शुरूआती उम्मीदों का सामना “कहीं अधिक जटिल” हकीकत से हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता को कोई साझेदार “पूरी तरह नहीं समझता”, तो इसका असर संबंधों पर पड़ता है। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में अन्य देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ट्रंप के शुल्कों से अमेरिकी साझेदार बेचैन → शी वाशिंगटन आते हैं और व्यापार युद्धविराम बढ़ता है → दोनों 1945 के मित्र-राष्ट्र होने की याद दिलाते हैं → जयशंकर इसे सीमित सहमति वाली होड़ बताते हैं → भारत जोखिम-न्यूनीकरण और लगभग तय अमेरिकी व्यापार समझ की बात करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. सामरिक स्वायत्तता का अर्थ विकल्प बचाए रखना है, बराबर दूरी बनाना नहीं — सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) का मतलब है कि भारत अपने हितों का आकलन हर मामले में अलग से करता है और ऐसे गठबंधनों से बचता है जो उसे किसी और शक्ति के युद्धों में बांध दें। व्यवहार में यह बहु-संरेखण (Multi-alignment) के रूप में चलती है: भारत क्वाड, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे परस्पर व्याप्त समूहों में अलग-अलग प्रयोजन से शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड 2007 में शुरू हुआ, 2017 में पुनर्जीवित हुआ और 2021 से इसके नेताओं के शिखर सम्मेलन होते आ रहे हैं। 2. संयुक्त राष्ट्र चार्टर आज भी 1945 की पराजित शक्तियों को “शत्रु राज्य” कहता है — संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53, 77 और 107 में हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वितीय विश्वयुद्ध के शत्रुओं का उल्लेख है, मुख्यतः जापान और जर्मनी का। अप्रचलित होने के बावजूद ये बने हुए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत चार्टर में संशोधन के लिए महासभा में दो-तिहाई मत और पाँचों स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. महाशक्तियों की होड़ और भारत के विकल्प GS2 का सतत विषय है — GS2 में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव” पूछा जाता है। जी-2 जैसी कोई समझ ऐसा ही एक प्रभाव है; उत्तरों में दोनों पलड़ों को तौलना होगा, यानी दोनों ओर संतुलन साधने और किसी एक के साथ खड़े होने की तुलना करनी होगी।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं; 2007 की पहली बैठक के बाद इसे 2017 में पुनर्जीवित किया गया। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53, 77 और 107 में द्वितीय विश्वयुद्ध से संबंधित “शत्रु राज्य” खंड हैं। ● चीन जनवादी गणराज्य की घोषणा 1949 में हुई; चीन गणराज्य, जो अब ताइवान में है, युद्धकाल में अमेरिका का सहयोगी था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. “प्रतिस्पर्धी मुद्रा” भारत के लिए अच्छी खबर है, पर एक सीमा तक — यदि अमेरिका और चीन सच्चे साझेदार होते, तो एशिया को वही व्यवस्था माननी पड़ती जो वे तय करते। चूंकि वे प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं, दोनों को अन्य देशों की ज़रूरत है, और इससे भारत को मोल-भाव की गुंजाइश मिलती है। जब भी दोनों भारत के सिर के ऊपर से कोई सहमति बना लेते हैं, यह गुंजाइश सिकुड़ जाती है, और भारत को दोनों संभावनाओं के लिए एक साथ तैयार रहना होगा।

	2. Lens — सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी: जोखिम-न्यूनीकरण व्यवहार में उतरी स्वायत्तता है — जब तक सीमा विवाद जीवित है, भारत चीन पर टेक नहीं लगा सकता; और उस अमेरिका पर भी पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता जो पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद पर भारत की चिंता को कम करके आँकता है। जोखिम-न्यूनीकरण आपूर्ति शृंखलाओं, बाजारों और रक्षा संबंधों को फैलाता है, ताकि कोई एक राजधानी भारत पर दबाव न बना सके। विवेकपूर्ण निर्णय यह है कि लगभग तय अमेरिकी व्यापार समझौते को पूरा किया जाए, और साथ ही यूरोप, खाड़ी तथा पूर्वी एशिया के साथ समझौते किए जाएँ, उनके बदले नहीं। 3. इतिहास को हथियार बनाया जा रहा है, और उस कहानी में भारत अनुपस्थित है — सी. राजा मोहन द इंडियन एक्सप्रेस में तर्क देते हैं कि अमेरिका और चीन को 1945 के विजयी मित्र-राष्ट्र बताकर बीजिंग जापान पर दबाव डालता है और जापान के साथ 1951 की शांति संधि पर टिकी अमेरिकी गठबंधनों की “सैन फ्रांसिस्को प्रणाली” को कमजोर करता है। चीन चार्टर के “शत्रु राज्य” खंडों को हटाने का भी विरोधी है। वे ध्यान दिलाते हैं कि 23 लाख भारतीयों ने सशस्त्र सेवा की, फिर भी बँट हुए स्वतंत्रता आंदोलन के कारण भारत के पास युद्ध का कोई साझा वृत्तांत नहीं बन सका, जिससे शीर्ष मेज़ पर उसका दावा कमजोर पड़ता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“हम बाकी देश एक बहुत अलग अमेरिका से तालमेल बिठा रहे हैं।” इस संदर्भ में, अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के रूप में जोखिम-न्यूनीकरण और विविधीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — आँकिए कि जोखिम-न्यूनीकरण भारत की कितनी रक्षा करता है। 2. भूमिका — जयशंकर ट्रंप-शी बैठक को सीमित सहमति वाली प्रतिस्पर्धा के रूप में पढ़ते हैं — जोखिम-न्यूनीकरण की एक पंक्ति में परिभाषा दीजिए। 3. जोखिम-न्यूनीकरण इसलिए कारगर है कि होड़ के कारण दोनों शक्तियों को साझेदारों की ज़रूरत बनी रहती है — लगभग तय अमेरिकी व्यापार समझ; क्वाड; फैली हुई आपूर्ति शृंखलाएँ। 4. जब दोनों भारत के सिर के ऊपर से एक हो जाएँ, तब इसकी सीमाएँ उजागर होती हैं — व्यापार युद्धविराम; आतंकवाद की अनसुनी चिंता। मूल्य-संवर्धन — राजा मोहन का “सैन फ्रांसिस्को प्रणाली” पर तर्क। 5. भारत को अपने इतिहास और संस्थाओं पर भी दावा करना होगा — द्वितीय विश्वयुद्ध में 23 लाख भारतीयों ने सेवा की। आरेख — बीच में भारत, और अमेरिका, यूरोपीय संघ, खाड़ी, जापान तथा आसियान की ओर जाते तीर। 6. निष्कर्ष — साझेदार बढ़ाइए, अमेरिका से समझौता पूरा कीजिए, विकल्प खुले रखिए — स्वायत्तता का अर्थ है हाथ में बचे विकल्पों की संख्या।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: यदि अमेरिका और चीन किसी व्यापक समझ पर पहुँच जाएँ, तो क्या भारत की सामरिक स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी? दृष्टिकोण (Approach): नहीं। स्वायत्तता का अर्थ कभी यह नहीं रहा कि दोनों हमें मनाते रहें; इसका अर्थ है विकल्प बचाए रखना। अमेरिका-चीन की कोई समझ भारत के मौल-भाव का दायरा तो घटाएगी, इसलिए भारत को यूरोप, जापान, खाड़ी और आसियान के साथ संबंध गहरे करने चाहिए और घरेलू क्षमता बनानी चाहिए। एशिया में दोनों फिर भी होड़ करते रहेंगे और वहाँ उन्हें भारत की ज़रूरत पड़ेगी।

4.2 दो दशक बाद अमेरिकी सैनिक इराक़ के अंतिम अड्डों से लौटे; ईरान-समर्थित समूहों ने जीत का दावा किया

मुद्दा पश्चिम एशिया युद्ध: ईरान, सऊदी और हूती (कड़ी 6) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी फ़रवरी में अमेरिकी-इजरायली हमलों से शुरू हुआ युद्ध सऊदी अरब और यमन तक फैल गया है; अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी कर रखी है, और ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि उसे समझौते और “सर्वनाश” में से एक चुनना होगा।

समाचार (THE NEWS) बग़दाद। रॉयटर्स के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अमेरिकी सेनाएँ बुधवार, 30 सितंबर तक इराक़ में अपने अंतिम अड्डे छोड़ देंगी। वहाँ दो दशक से अधिक चले युद्ध में लगभग 4,500 अमेरिकी मारे गए। वापसी का समझौता 2024 में राष्ट्रपति जो बाइडन के समय हुआ था और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उसे लागू कर रहा है, जबकि वह स्वयं ईरान से युद्ध लड़ रहा है। इराक़ी विश्लेषक जासिम अल-बहादिली के अनुसार ईरान को लाभ है, क्योंकि गठबंधन उसके प्रभाव के “प्रतिकार” का काम करता था, और इराक़ी विशेषज्ञ चेताते हैं कि इस्लामिक स्टेट वापसी कर सकता है। ईरान-समर्थित सशस्त्र समूहों के छत्र-संगठन, इराक़ में इस्लामी प्रतिरोध, के एक कमांडर ने इसे “ऐतिहासिक विजय” कहा। अलग से, श्री ट्रंप ने उन ख़बरों का खंडन किया कि उन्होंने ईरान

को प्रतिबंधों में राहत की पेशकश की थी, जबकि राष्ट्रपति मसूदा पत्रेक्षिकयान ने कहा कि ईरान बातचीत को तैयार है, पर “धौंस या दबाव” के आगे नहीं। ईरान की मुद्रा रियाल गिरकर एक डॉलर के मुकाबले 25 लाख के पार चली गई। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में पश्चिम एशिया और भारत के हित।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका 2003 में इराक़ पर चढ़ाई करता है और विद्रोह के बीच टिका रहता है → 2014 में इस्लामिक स्टेट से लड़ने लौटता है → 2024 में बग़दाद और वाशिंगटन सैनिक घटाने पर सहमत होते हैं → फ़रवरी में अमेरिका ईरान से युद्ध में उतरता है, और वापसी की प्रक्रिया चलती रहती है → अंतिम अड़्डे बंद होते हैं और ईरान-समर्थित समूह मज़बूत रह जाते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. इराक़ में अमेरिकी उपस्थिति पहले आक्रमण पर, फिर आमंत्रण पर टिकी थी — अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2003 में इराक़ पर हमला कर सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाया। 2008 के सामरिक ढाँचा समझौते (Strategic Framework Agreement) ने दीर्घकालिक संबंधों की रूपरेखा तय की और अमेरिकी लड़ाकू सैनिक 2011 में लौट गए। वे 2014 में बग़दाद के अनुरोध पर ऑपरेशन इनहेरेंट रिज़ॉल्व (Operation Inherent Resolve) के तहत वापस आए, जो इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध गठबंधन का अभियान है। 2. होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया का प्रमुख तेल अवरोध-बिंदु है — होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है; उसके उत्तरी तट पर ईरान है और दक्षिण में ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप। द हिंदू के अनुसार युद्ध से पहले दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुज़रता था। भारत के प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल इराक़, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इस पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. पश्चिम एशिया की अस्थिरता तेल और प्रवासी भारतीयों के रास्ते भारत तक पहुँचती है — GS2 में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव” और प्रवासी भारतीय शामिल हैं; इराक़ से यह वापसी ऊर्जा सुरक्षा और वहाँ काम कर रहे भारतीय कामगारों की सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● होर्मुज़ जलडमरूमध्य फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ● ऑपरेशन इनहेरेंट रिज़ॉल्व इराक़ और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का अभियान है, जो 2014 में शुरू हुआ। ● 2008 का अमेरिका-इराक़ सामरिक ढाँचा समझौता दोनों देशों के दीर्घकालिक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को नियंत्रित करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. इस वापसी से ईरान को सामरिक लाभ मिलता है, भले ही वह युद्ध की आर्थिक लड़ाई हार रहा हो — अमेरिकी सैनिकों के जाने से इराक़ के भीतर ईरान-समर्थित समूहों को खुला हाथ मिलता है और ईरान को अपनी पश्चिमी सीमा पर गहराई मिलती है। फिर भी द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय बताता है कि खाड़ी से कच्चे तेल की खेप युद्ध-पूर्व स्तर के 80% से थोड़ा ही नीचे लौट आई है, सऊदी अरब ने अपनी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन की मरम्मत कर ली है, और अमेरिका की जवाबी नाकेबंदी के कारण ईरान निर्यात नहीं कर पा रहा। ईरान ज़मीन जीत रहा है और पैसा गँवा रहा है, इसीलिए तेहरान अब बातचीत को अधिक उत्सुक है। 2. Lens — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संसाधन: होर्मुज़ साझा जीवन-रेखा है, ईरान का सौदेबाज़ी का मोहरा नहीं — द हिंदू में बताए गए ईरान के सात-सूत्री प्रस्ताव में पेशकश है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, प्रतिबंधों में छूट दे और जमी हुई निधियाँ जारी करे, तो ईरान सात दिन में होर्मुज़ जलडमरूमध्य फिर खोल देगा; श्री ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इसे ठुकरा दिया। दोनों पक्ष एक वैश्विक जलमार्ग को दबाव के औज़ार की तरह बरत रहे हैं। भारत का हित इसमें है कि होर्मुज़ को ऐसा साझा संसाधन माना जाए जिसकी निर्बाध आवाजाही की गारंटी सभी दें, और यह पक्ष वह खाड़ी साझेदारों के साथ तथा संयुक्त राष्ट्र में ज़ोर से रखे। 3. शक्ति-शून्य इस्लामिक स्टेट को फिर जिला सकता है — इस्लामिक स्टेट 2014 में कमज़ोर इराक़ी राज्य और सांप्रदायिक मिलिशिया द्वारा छोड़ी गई जगह में पनपा था, और युद्ध में उलझा क्षेत्र आज वैसी ही जगह देता है। भारत के लिए पुनर्जीवित इस्लामिक स्टेट का अर्थ है क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों के लिए ख़तरा और देश के भीतर ऑनलाइन कट्टरता के प्रसार को प्रचार का बल।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	इराक़ से अमेरिकी वापसी के भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — एक स्पष्ट तर्क-रेखा के साथ मुख्य प्रभावों को संतुलित ढंग से

**दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)**

रखिए।

2. भूमिका — ईरान युद्ध के बीच 30 सितंबर को अमेरिकी सेनाएँ इराक के अंतिम अड्डे छोड़ रही हैं — लगभग 20 शब्द।
3. ईरान-समर्थित समूह मजबूत होते हैं, जिससे एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के आसपास जोखिम बढ़ता है — इराक भारत के प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ताओं में है।
4. असली जोखिम इराक नहीं, होर्मुज़ है — मूल्य-संवर्धन — सितंबर में खेप युद्ध-पूर्व स्तर के 80% से थोड़ा ही नीचे; ईरान का सात-सूत्री होर्मुज़ प्रस्ताव। आरेख — खाड़ी का मानचित्र, जिसमें होर्मुज़, लाल सागर तक सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन और भारत का समुद्री मार्ग दिखे।
5. निष्कर्ष — आपूर्तिकर्ता बढ़ाएँ, सामरिक भंडार बनाइएँ, निर्बाध आवाजाही का पक्ष लीजिए — लगभग 15 शब्द।

**प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)**

प्रश्न 1. पेट्रोलियम सचिव के रूप में, यदि अमेरिकी वापसी के बाद इराक अस्थिर हो जाए तो आप किस बात की तैयारी करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अमेरिका महाद्वीप और पश्चिम अफ्रीका से वैकल्पिक खेपों की व्यवस्था कर रखूँगा, जाँचूँगा कि सामरिक पेट्रोलियम भंडार भरे हैं और रिफ़ाइनरियाँ अन्य श्रेणियों का कच्चा तेल संसाधित कर सकती हैं, और इराक में भारतीय कामगारों की निकासी योजनाओं का विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करूँगा। लक्ष्य यह है कि झटके से हमारी लागत बढ़े, पर आपूर्ति न रुके।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

तीनों खबरें एक ही सवाल से जुड़ी हैं: नाजुक भू-परिदृश्यों को खाली जगह मानने की कीमत क्या है? केंद्र चाहता है कि अदालतें यह पूछना बंद कर दें कि निकोबारी और शोम्पेन समुदायों ने एक विशाल परियोजना के लिए सहमति दी थी या नहीं; उत्तराखंड आखिरकार किसी हिमनद झील का केवल मानचित्रण नहीं कर रहा, उस पर निगरानी भी रखने जा रहा है; और विज्ञान अब बता रहा है कि सौर पार्क या वृक्षारोपण के लिए जोत दिया गया घास का मैदान एक जीवनकाल में वापस नहीं लौटेगा। हर मामले में सबसे सस्ता बचाव वही है जो नुकसान होने से पहले किया जाए, और राज्य को वही सबसे असुविधाजनक लगता रहा है।

5.1 केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में ग्रेट निकोबार की सुनवाई रोकने का आग्रह किया, याचिकाकर्ता की वाद-योग्यता पर आपत्ति

मुद्दा Great Nicobar project and tribal rights (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी शोम्पेन और निकोबारी समुदायों की वन भूमि पर प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बंदरगाह-हवाई अड्डा-टाउनशिप परियोजना को वन अधिकार अधिनियम के तहत सहमति के प्रश्न पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर कलकत्ता उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। वहाँ की याचिकाओं में आरोप है कि ₹92,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए सहमति लेने में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act — FRA) का उल्लंघन हुआ। केंद्र का कहना है कि याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी मीना गुप्ता, को वाद लाने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है, और वह इन याचिकाओं को “प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताता है। 6 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ ने यह आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि उनका “पर्याप्त हित” है। याचिकाओं में ग्राम सभा की सहमति के प्रस्तावों, कैपबेल बे और गलाधिया बे राष्ट्रीय उद्यानों के घटाए गए बफर क्षेत्रों, और इस प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई है कि सभी FRA अधिकारों का निपटारा हो चुका है। 24 जुलाई को दायर SLP की सुनवाई अनंतिम रूप से 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

ग्रेट निकोबार में सामरिक बंदरगाह-हवाई अड्डा योजना → वन भूमि के डायवर्जन के लिए FRA अधिकारों का निपटारा और ग्राम सभा की सहमति आवश्यक → पूर्व जनजातीय कार्य सचिव ने सहमति और बफर कटौती को चुनौती दी → उच्च न्यायालय ने उनकी वाद-योग्यता मानी → केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से रोक मांगी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

- वन अधिकार अधिनियम में अधिकार पहले, वन भूमि का डायवर्जन बाद में — वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act) वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार निहित करता है और अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार ग्राम सभा को देता है; इसके बाद दावे उपखंड और ज़िला स्तर की समितियों तक जाते हैं। धारा 4(5) के अनुसार, अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी वनवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता।
- नियमगिरि ने तय किया कि सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों पर निर्णय ग्राम सभाएँ लेंगी — ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियमगिरि में बॉक्साइट खनन से विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) डोंगरिया कोंध के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित होते हैं या नहीं, यह तय करना ग्राम सभाओं का काम है। अलग से, एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में वाद-योग्यता के नियम को शिथिल किया गया, जिससे जनहित में काम करने वाले व्यक्ति उन लोगों की ओर से मुकदमा लड़ सकें जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुँच सकते।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- जनजातीय क्षेत्रों की परियोजनाएँ GS3 और GS2 दोनों में — GS3 के पाठ्यक्रम में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन” शामिल है, और GS2 में “इन संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय”। ग्रेट निकोबार एक ही उत्तर में दोनों की परीक्षा लेता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- FRA 2006, धारा 4(5): अधिकारों की मान्यता और सत्यापन पूरा होने तक किसी वनवासी को बेदखल नहीं किया जा सकता।
- ग्रेट निकोबार के शोम्पेन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) हैं; निकोबारी उसी द्वीप की एक अनुसूचित जनजाति हैं।
- अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह सैन्य अधिकरणों को छोड़कर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सके।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- दृष्टि — विकास बनाम पर्यावरण: सहमति सामरिक परियोजना का सबसे सस्ता बीमा है —

	केंद्र इस मामले को विकास बनाम “निजी व्यक्तियों के दावों” के रूप में रखता है, पर याचिका यह नहीं पूछती कि बंदरगाह बने या नहीं; वह यह पूछती है कि कानून की प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। शोम्पेन, जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है, ठीक वही लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए सहमति का नियम बना है। एक विवेकशील अधिकारी यही निष्कर्ष निकालेगा कि पारदर्शी ग्राम सभा प्रक्रिया वर्षों की मुकदमेबाजी से तेज़ है, और सामरिक महत्त्व सहमति को टालने का नहीं, उसे ठीक से लेने का कारण है। 2. गुण-दोष के बजाय वाद-योग्यता पर हमला कमज़ोर अभिलेख का संकेत है — वाद-योग्यता की आपत्ति बिन बुलाए दखल देने वालों के विरुद्ध कारगर होती है, पर याचिकाकर्ता पर्यावरण और जनजातीय कार्य, दोनों मंत्रालयों में सचिव रह चुकी हैं और FRA के प्रारूपण में उनका योगदान रहा है। जिस अंतिम सुनवाई के लिए केंद्र 25 और 26 नवंबर की तारीखों पर सहमत हो चुका था, उसे रुकवाने की कोशिश से यह अनुमान लगता है कि केंद्र प्रतिकूल फ़ैसले के बजाय किसी भी जॉच से बचना पसंद करता है। प्रति-दृष्टिकोण: बार-बार की मुकदमेबाजी राष्ट्रीय परियोजनाओं को अटका सकती है। 3. नियमगिरि की वापसी दिखाती है कि ग्राम सभा के निर्णय कभी पूरी तरह अंतिम नहीं होते — ओडिशा में कार्यकर्ता अब चेता रहे हैं कि वेदांता के अध्यक्ष के कथन के बाद नियमगिरि को फिर खोलने की कोशिश हो रही है, जबकि 12 डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं के मना करने को लगभग 13 वर्ष बीत चुके हैं। इनकार को बार-बार दोबारा पूछा जाता है, जबकि एक बार दी गई सहमति को स्थायी मान लिया जाता है। यही असमानता बताती है कि पहला परामर्श कितनी गुणवत्ता का था, इसी पर तय होता है कि FRA किसी की रक्षा करता है या नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति केवल एक प्रक्रियागत बाधा है।” ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलिए और एक निर्णय पर पहुँचिए। 2. भूमिका — सामरिक परियोजना का सामना वैधानिक अधिकार से — ₹92,000 करोड़ की परियोजना और केंद्र की SLP। 3. मुख्य भाग — सामरिक तर्क वास्तविक और समय-सीमा से बँधा है — देरी की कीमत होती है; बार-बार की जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग संभव है। 4. मुख्य भाग — अलग-थलग समूहों के लिए सहमति औपचारिकता नहीं, सारतत्त्व है — मूल्य-वर्धन: ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (2013) और धारा 4(5)। 5. मुख्य भाग — प्रक्रिया के शॉर्टकट बचाए गए समय से अधिक समय खा जाते हैं — प्रवाह-चित्र: दावे → ग्राम सभा → उपखंड समिति → ज़िला समिति → डायवर्जन। 6. निष्कर्ष — सहमति खुले तौर पर दोबारा लीजिए और गुण-दोष का फ़ैसला अदालत पर छोड़िए — अभिलिखित परामर्श परियोजना को टिकाऊ बनाता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. निकोबार के उपायुक्त के रूप में आपसे प्रमाणित करने को कहा जाता है कि सभी वन अधिकारों का निपटारा हो चुका है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं केवल वही प्रमाणित करूँगा जिसका अभिलेख समर्थन करता हो। शोम्पेन समुदाय के लिए मैं मानवविज्ञानियों और दुभाषियों को बुलाऊँगा ताकि परामर्श वास्तविक हो। यदि अभिलेख अधूरा है तो मैं लिखित में यह कहूँगा और उसे पूरा करने की समय-सीमा भी दूँगा। झूठा प्रमाणपत्र परियोजना को पलटे जाने के जोखिम में और मुझे दायित्व के दायरे में डाल देता है।

5.2 उत्तराखंड ने पहली हिमनद-झील पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाई, उधर गंडक ने बिहार में तटबंध तोड़ा

सूदा हिमालयी आपदाएँ और हिमनद संकट (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी: नेपाल की अगस्त की बाढ़ से कम-से-कम 13 जलविद्युत परियोजनाएँ क्षतिग्रस्त हुईं; एक विशेषज्ञ ने तर्क दिया कि रसुवा की आपदा हिमनद झील के फटने से नहीं, बल्कि चट्टान-बर्फ के हिमस्खलन से हुई थी, और इसके लिए भूकंपीय चेतावनी नेटवर्क चाहिए।

समाचार (THE NEWS) देहरादून। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड ने मंगलवार, 29 सितंबर को चमोली ज़िले के वसुंधरा ताल में किसी हिमनद झील के लिए अपनी पहली पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाना शुरू किया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, और वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की टीम, जिसे SDRF, NDRF और ITBP का सहयोग प्राप्त है, 15 अक्टूबर तक काम करेगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले सेंसर जल-स्तर, मौसम, बर्फ की गहराई और ज़मीन की हलचल पर नज़र रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राज्य में 13 उच्च-जोखिम हिमनद झीलें चिह्नित की हैं, जिनमें पाँच श्रेणी-क, यानी सर्वोच्च जोखिम, की हैं;

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 2023 में 344 हिमनद झीलें गिनी थीं। यह क्रम नेपाल की अगस्त की बाढ़ के बाद उठाया गया है, जिसका कारण अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिमनद के ढहने और मलबा-प्रवाह को बताया था। अलग से, नेपाल के गंडक जलग्रहण क्षेत्र से आई अचानक बाढ़ ने पश्चिमी चंपारण और कुशीनगर में तीन जगह तटबंध तोड़ दिए और बगहा में 91.25 मीटर का रिकॉर्ड बाढ़-स्तर दर्ज हुआ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

तापमान बढ़ने से हिमोढ़-बाँध वाली झीलें फूलती हैं → NDMA ने 13 उच्च-जोखिम झीलें चिह्नित कीं → नेपाल की अगस्त की आपदा ने दिखाया कि ढहना कितनी तेज़ी से जान लेता है → उत्तराखंड ने वसुंधरा ताल पर सेंसर लगाए → अनसुलझा चरण है सेंसर से सायरन तक का रास्ता

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) बिना किसी इंजीनियर का बाँध टूटना है — जब कोई हिमनद पीछे हटता है तो उसका पिघला पानी उसी के छोड़े ढीले पत्थरों और मलबे (हिमोढ़) के पीछे जमा हो जाता है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप या अत्यधिक वर्षा इस प्राकृतिक बाँध के ऊपर से पानी बहा सकती है या उसे तोड़ सकती है, और पानी तथा मलबे की दीवार कुछ ही मिनटों में निचले इलाकों में उतर आती है; इसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood — GLOF) कहते हैं। NDMA ने GLOF प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें मानचित्रण, निगरानी और पूर्व चेतावनी पर बल है। 2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 त्रिस्तरीय ढाँचा बनाता है — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में NDMA, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण और कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ज़िला प्राधिकरण बनाता है, और NDRF को विशेषज्ञ प्रतिक्रिया बल के रूप में गठित करता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030, जिसे भारत ने अपनाया है, बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता और उन तक पहुँच बढ़ाने का वैश्विक लक्ष्य तय करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. आपदा संबंधी प्रश्न अब पूर्व चेतावनी की ओर बढ़ रहे हैं — GS3 में “आपदा और आपदा प्रबंधन” और GS1 में “महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ” शामिल हैं। प्रश्न अब इस पर कम पृच्छते हैं कि GLOF क्या है, और इस पर अधिक कि चेतावनियाँ लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पातीं; यही इस कार्ड का उत्तर है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं; ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट होते हैं। ● सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 का लक्ष्य G बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा-जोखिम सूचना से संबंधित है। ● गंडक नेपाल में निकलती है, जहाँ इसे नारायणी कहते हैं, और पटना के पास गंगा में मिलती है; इस पर बना वाल्मीकिनगर बैराज भारत-नेपाल समझौते के तहत बना था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — अल्पकालिक राहत बनाम दीर्घकालिक सुधार: एक सेंसर प्रायोगिक परियोजना है, व्यवस्था नहीं — राहत दिखती है और जल्दी मिलती है; किसी दूरस्थ झील की बरसों निगरानी अदृश्य है, इसलिए अक्सर छोड़ दी जाती है। उत्तराखंड ने छह झीलों का सर्वेक्षण किया है और एक पर सेंसर लगाए हैं, जबकि NDMA की शीर्ष श्रेणी में पाँच हैं। एक विवेकशील अधिकारी वसुंधरा ताल को ऐसा नमूना मानेगा जिसकी लागत आँकी जाए और जिसे तय अवधि में सभी श्रेणी-क झीलों पर दोहराया जाए, और जिसका वित्तपोषण राहत बजट से नहीं, श्रमन मद से हो। 2. कमज़ोर कड़ी सेंसर नहीं, अंतिम छोर तक पहुँच है — GLOF घंटे भर से भी कम समय में घाटी के किसी गाँव तक पहुँच सकती है, इसलिए आँकड़े तभी काम के हैं जब वे सायरन, फ़ोन अलर्ट और अभ्यास किए गए निकासी को चालू करें। इसके लिए स्पष्ट सीमा-मान चाहिए, रात में भी अलार्म बजाने का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, और ऐसे ग्रामीण चाहिए जो उस पर भरोसा करते हों। अभ्यास के बिना सेंसर उस धुआँ-संसूचक जैसे हैं जिसमें बैटरी ही न हो। 3. बाढ़ अब ऊपरी देशों से आती है, इसलिए चेतावनी साझा करनी होगी — गंडक की उफान नेपाल में थोड़ी देर की तेज़ बारिश से आई और कुछ ही घंटों में बिहार पहुँच गई, ठीक वैसे ही जैसे नेपाल का हिमनद-ढहाव हुआ था। नेपाल के देवघाट में गेज के आँकड़े पहले से मौजूद हैं; कमी सीमा-पार वास्तविक समय में आदान-प्रदान की है। बगहा का नया बाढ़-स्तर दिखाता है कि अभिकल्प मानकों को ऊपर की ओर संशोधित करना होगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	समझाइए कि हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ हिमालयी समुदायों की रक्षा करने में प्रायः क्यों विफल रहती हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. निर्देश — समझाइए — विफलता के कारण स्पष्ट रूप से दीजिए, एक उदाहरण के साथ।
2. भूमिका — GLOF में घंटे नहीं, मिनट मिलते हैं — GLOF को एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए; उत्तराखंड की 13 उच्च-जोखिम झीलों का उल्लेख कीजिए।
3. मुख्य भाग — कवरेज कम है: शीर्ष श्रेणी की पाँच में से एक झील पर सेंसर — मूल्य-वर्धन: NDMA की 13 झीलों की सूची और NRSC की 344 झीलों की गणना।
4. मुख्य भाग — सेंसर से सायरन तक की कड़ी अंतिम छोर पर टूट जाती है — प्रवाह-चित्र बनाइए: सेंसर → नियंत्रण कक्ष → सीमा-मान → सायरन और SMS → निकासी अभ्यास।
5. निष्कर्ष — सेंसर बढ़ाइए और गाँवों में अभ्यास भी कराइए — शमन मद से वित्तपोषण कीजिए और नेपाल के साथ आकड़ें साझा कीजिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. चमोली के ज़िलाधिकारी के रूप में आप वसुंधरा ताल की चेतावनी को सचमुच जान बचाने लायक कैसे बनाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): USDMA और वैज्ञानिकों के साथ मैं जल-स्तर के ऐसे सीमा-मान तय करूँगा जो बिना किसी और मंजूरी के अलर्ट चालू कर दें, जो अपने-आप निचले इलाकों के सायरनों और फ़ोनो तक पहुँचे। हर गाँव में प्रधान और एक स्वयंसेवक को निशान लगे ऊँचे स्थान तक निकासी का नेतृत्व करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और अभ्यास सर्दियों से पहले तथा बर्फ़ पिघलने के बाद होंगे। कसौटी यह है कि गाँव पंद्रह मिनट में निकल पाता है या नहीं, यह नहीं कि सेंसर चलता है या नहीं।

5.3 नष्ट हुए पुराने घास के मैदानों को उबरने में सदी से अधिक लगती है, PNAS अध्ययन का निष्कर्ष; पारिस्थितिकीविद ने बहाली कार्यक्रम माँगा

मुद्दा Grasslands and the 'wasteland' tag (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण · तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी भारत के घास के मैदान, जो गोडावण (Great Indian Bustard) और पशुपालकों का घर हैं; नियमित रूप से “बंजर भूमि” की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं; 23 सितंबर को गैंडा योजना के अंतर्गत घास के मैदानों का एटलस बनाने का प्रस्ताव आया था।

समाचार (THE NEWS) द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द नेशनल एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ (PNAS) में छपे एक नए वैश्विक अध्ययन का निष्कर्ष है कि जो घास के मैदान हजारों वर्षों में विकसित हुए, वे नष्ट होने के बाद कम-से-कम एक सदी तक लगभग कभी उसी रूप में दोबारा नहीं उगते। IISER पुणे के एक शोधकर्ता सहित वैज्ञानिकों ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के सवाना तथा अमेरिकी प्रेयरी के 742 वनस्पति प्रजातियों की तुलना की। दोबारा उगने वाले “द्वितीयक” घास के मैदानों में पौधे ऊँचे होते हैं और संसाधनों का संरक्षण कम करते हैं, प्रजातियाँ कम होती हैं और बाहरी खरपतवारी वार्षिक पौधे उग आते हैं; क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व और pH बदल चुके होते हैं। घास के मैदान पृथ्वी के भूमि-कार्बन का लगभग एक-तिहाई संचित करते हैं, फिर भी अक्सर उन्हें “बंजर भूमि” कहा जाता है। पक्षी-विज्ञानी असद रहमानी का कहना है कि बहाली फिर भी आंशिक रूप से कारगर है: सोलापुर में इसने गोडावण को लौटाया, कच्छ में लेसर फ़्लोरिकन को और असम के ओरंग घास के मैदानों में पिग्मी हाँग को। वे राष्ट्रीय घास-भूमि बहाली कार्यक्रम और राष्ट्रीय चराई नीति की माँग करते हैं, और ध्यान दिलाते हैं कि भारत के पास दुनिया के 15% पशुधन हैं जबकि उसका क्षेत्रफल केवल 4% है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भू-अभिलेख खुले घास के मैदान को अनुत्पादक मानते हैं → ‘बंजर भूमि’ का ठप्पा सौर पार्कों, खदानों और वृक्षारोपण को उसी पर ले जाता है → गोडावण और पशुपालक आवास खो देते हैं → PNAS दिखाता है कि पुराना घास का मैदान एक सदी तक नहीं लौटता → बहाली कार्यक्रम की माँग

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. ‘बंजर भूमि’ एक प्रशासनिक श्रेणी है — भारत का बंजर भूमि एटलस (Wastelands Atlas of India), जिसे भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ तैयार किया है, ऐसी श्रेणियों का मानचित्रण करता है जिनमें क्षरित चरागाह और झाड़ियाँ भी शामिल हैं। इस तरह खुले घास के मैदान और सवाना अक्सर ऐसी भूमि के रूप में दिखते हैं जिसका ‘विकास’ किया जाना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि की बहाली का संकल्प लिया है, ताकि भूमि क्षरण तटस्थता की ओर बढ़ा जा सके।
2. घास के मैदानों के पक्षी अदालतों में हैं — गोडावण को IUCN ने ‘गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ सूचीबद्ध किया है और वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act) की अनुसूची I में है। एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले (2021) राजस्थान और गुजरात में गोडावण के आवास में ऊपरी बिजली लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया, फिर 2024 में उस आदेश को संशोधित किया और अनुच्छेद 14 तथा 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. पारिस्थितिकी तंत्र के प्रश्न वनों से आगे जा रहे हैं — GS3 में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” शामिल है, और GS1 में “प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण”। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया है, जिससे घास के मैदान इस वर्ष का स्वाभाविक विषय बन जाते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● गोडावण IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है। ● UNCCD के तहत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि की बहाली का संकल्प लिया है। ● भारत का बंजर भूमि एटलस ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ तैयार किया जाता है। ● घास के मैदानों की प्रजाति पिग्मी हाँग को असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में फिर से बसाया गया है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — विकास बनाम पर्यावरण: घास का मैदान किसी परियोजना की प्रतीक्षा में पड़ी खाली ज़मीन नहीं है — सौर पार्क और वृक्षारोपण घास के मैदानों पर इसलिए जाते हैं कि ज़मीन समतल, सस्ती और सरकारी अभिलेखों में ‘बंजर’ है। PNAS का निष्कर्ष हिसाब बदल देता है: किसी भी नीतिगत समय-सीमा में यह नुकसान स्थायी है। एक विवेकशील अधिकारी अक्षय ऊर्जा को पहले वास्तव में क्षरित भूमि, छुत्तों और नहरों के ऊपर लगाएगा, और खुली ज़मीन आवंटित करने से पहले घास-भूमि प्रभाव की जाँच अनिवार्य करेगा। 2. पेड़ लगाना घास के मैदान को उतना ही नुकसान पहुँचा सकता है जितना खदान — वनीकरण के लक्ष्य पेड़ लगाने को पुरस्कृत करते हैं, और घास के मैदान पेड़ लगाने की सबसे आसान जगह हैं। पर पेड़ घासों को छाया में दबा देते हैं और ज़मीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के शिकारियों को आश्रय देते हैं, और कार्बन को केवल पेड़ों में गिनना घास-भूमि की मिट्टी को अनदेखा करता है। प्रति-दृष्टिकोण: कुछ घास के मैदान वास्तव में क्षरित वेन हैं, इसलिए वर्गीकरण स्थल-विशिष्ट होना चाहिए। 3. बहाली आंशिक है, इसलिए संरक्षण पहले आना चाहिए — रहमानी के उदाहरण दिखाते हैं कि बहाल घास के मैदान में वन्यजीव लौट सकते हैं, पर अध्ययन बताता है कि मूल वनस्पति समुदाय नहीं लौटता। दीर्घकालिक विकल्प यह है कि बचे हुए पुराने घास के मैदानों को एक स्पष्ट कानूनी श्रेणी और ऐसी चराई नीति के ज़रिए संरक्षित किया जाए जो पशुपालकों को अतिक्रमणकारी नहीं, प्रबंधक मानती हो।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	घास के मैदानों को “बंजर भूमि” के रूप में वर्गीकृत करना भारत के संरक्षण और जलवायु लक्ष्यों को किस हद तक कमज़ोर करता है? चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस हद तक — दिखाइए कि यह ठप्पा कहाँ नुकसान करता है, कहाँ नहीं करता, और एक संतुलित निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — भूमि-कार्बन का एक-तिहाई, आधिकारिक रूप से बंजर — PNAS अध्ययन का हवाला दीजिए: नष्ट हुए पुराने घास के मैदान एक सदी तक नहीं उबरते। 3. मुख्य भाग — यह ठप्पा सौर, खनन और वृक्षारोपण को घास के मैदानों पर ले जाता है — मूल्य-वर्धन: गोडावण के आवास और बिजली लाइनों पर एम.के. रंजीतसिंह (2021, 2024)। 4. मुख्य भाग — यह UNCCD और जलवायु लक्ष्यों से टकराता है — खोया मिट्टी-कार्बन बनाम 26 मिलियन हेक्टेयर का संकल्प। 5. मुख्य भाग — जहाँ भूमि वास्तव में क्षरित है, वहाँ यह ठप्पा आंशिक रूप से सही है — थार, कच्छ, दक्कन और तराई के घास के मैदानों का मानचित्र बनाइए, जिसमें गोडावण और फ्लोरिकन के क्षेत्र दर्शाए हों। 6. निष्कर्ष — एक कानूनी घास-भूमि श्रेणी और राष्ट्रीय चराई नीति — पहले पुराने घास के मैदानों की रक्षा कीजिए, फिर बहाली।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. कलेक्टर के रूप में आपको सौर पार्क के लिए ‘बंजर भूमि’ खोजनी है, पर सूचीबद्ध अधिकांश भूमि पशुपालकों द्वारा प्रयुक्त घास का मैदान है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं हर भूखंड को पक्षियों के अभिलेखों और ग्राम पंचायत में दर्ज चराई-उपयोग से मिलाकर जाँचूंगा। वास्तव में बंजर भूखंड पहले दिए जाएँगे; जिस घास के मैदान में पक्षी हों या सामुदायिक चराई होती हो, उसे विकल्पों के साथ सरकार को चिह्नित करके भेजूंगा।

किसी भी आवंटन से पहले पशुपालकों के अधिकार दर्ज किए जाएँगे। नहीं तो पार्क अंततः अदालत में पहुँचेगा।

6. समाज (Society)

दोनों खबरें इस बारे में हैं कि किसी समुदाय की साझा कथा और साझा फैसलों को आकार देने का अधिकार किसके पास है। पाठ्यपुस्तक तय करती है कि चौदह वर्ष के बच्चे को कौन-सा अतीत विरासत में मिलेगा; “निर्विरोध” चुनी गई पंचायत तय करती है कि गाँव कभी कोई असहमति की आवाज़ सुनेगा या नहीं। दोनों में ऊपर से सब कुछ तय और सौहार्दपूर्ण दिखता है, और असली प्रश्न यह है कि प्रक्रिया में किसकी आवाज़ छूट गई।

6.1 NCERT की नई कक्षा 9 की पुस्तक में यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय ‘प्रतिरोध’

मुद्दा History in school textbooks (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और 2023 की स्कूली पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत NCERT अपनी पाठ्यपुस्तकें कक्षा-दर-कक्षा नए सिरे से लिख रही है; कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक का भाग 1 जून में आया था।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने मंगलवार, 29 सितंबर को कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक Understanding Society: India and Beyond – Part Two जारी की। इसमें फ्रांसीसी और रूसी क्रांति के पुराने अध्याय हटा दिए गए हैं और 1000–1700 ई. को आक्रमणों के विरुद्ध “प्रतिरोध और सहनशीलता” (Resistance and Resilience) के काल के रूप में प्रस्तुत किया गया है; पुस्तक के अनुसार ये आक्रमण “क्षेत्रीय विस्तार और धार्मिक उद्देश्यों” से प्रेरित थे। इसमें मेवाड़, सराईघाट में अहोमों की विजय, विजयनगर, मराठा स्वराज्य, 1669 का जाट विद्रोह तथा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर के वध का वर्णन है, और कहा गया है कि गुरुओं के प्रति मुगल क्रूरता की “इतिहास में कम ही तुलना मिलती है”। कछवाहा-मुगल सहयोग का उल्लेख संक्षेप में है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पचास वर्ष से अधिक समय तक भारतीय इतिहास-लेखन के केंद्र में रही मिश्रित संस्कृति (Composite Culture) पीछे चली गई है। NCERT निदेशक दिनेश सकलानी की प्रस्तावना “आलोचनात्मक जिज्ञासा” का वादा करती है। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में शिक्षा नीति।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

NEP 2020 नए पाठ्यक्रम का आह्वान करती है → NCF-SE 2023 रूपरेखा तय करता है → NCERT कक्षा-दर-कक्षा पुस्तकें दोबारा लिखती है → कक्षा 9 का भाग 2 यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय प्रतिरोध रखता है → बहस: विद्यार्थी कौन-सा अतीत विरासत में पाएँ, और यह कौन तय करे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. NCERT एक सलाहकारी सोसायटी है, वैधानिक नियामक नहीं — NCERT की स्थापना भारत सरकार ने 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की थी। वह स्कूली शिक्षा पर केंद्र और राज्यों को सलाह देती है और आदर्श पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करती है, जिनका CBSE स्कूलों में व्यापक उपयोग होता है। राज्यों के अपने SCERT हैं और वे अपनी पुस्तकें अपना सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं या स्वयं लिख सकते हैं। 2. शिक्षा एक साझा विषय है, जिसका एक संवैधानिक लक्ष्य भी है — 42वें संविधान संशोधन, 1976 ने शिक्षा को समवर्ती सूची (सूची III की प्रविष्टि 25) में डाल दिया: केंद्र NEP 2020 और पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-SE 2023 जैसी नीति बनाता है, जबकि अधिकांश स्कूल राज्य चलाते हैं। अनुच्छेद 51A(h) हर नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. पाठ्यक्रम की सामग्री अब केवल शिक्षण-पद्धति का नहीं, शासन का भी प्रश्न है — GS2 में “स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय” शामिल हैं। पाठ्यपुस्तक-संशोधन संघवाद और स्वायत्तता, दोनों की एक साथ परीक्षा लेता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● NCERT की स्थापना 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में हुई; वह वैधानिक निकाय नहीं है। ● शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ● सराईघाट का युद्ध (1671) अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र पर मुगल बेड़े के विरुद्ध जीता था।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. बहस के दोनों पक्ष संतुलन के बारे में एक वास्तविक तर्क दे रहे हैं — समर्थकों का कहना है कि पुराने पाठ्यक्रम में भारत के क्षेत्रों की तुलना में यूरोप को अधिक पृष्ठ मिले थे, जिससे अहोमों के बारे में लगभग कुछ पता ही नहीं चलता था। आलोचक उत्तर देते हैं कि फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों ने वही स्वतंत्रता और समानता सिखाई जिन पर हमारा संविधान आधारित है, और सात शताब्दियों को मुख्यतः “प्रतिरोध” के रूप में पढ़ाने से आदान-प्रदान और समन्वय के लिए बहुत कम जगह बचती है। असहमति इस पर है कि सीमित पृष्ठ एक नागरिक को क्या देखना सिखाएँ।

	2. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: क्या पढ़ाया जाए, इतना ही महत्वपूर्ण है कि कौन तय करे — NCERT को कोई वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए उसके निर्णय सरकार के निर्णय जैसे पड़े जाते हैं। 27 सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग ने, PMO का हवाला देते हुए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अंबेडकर, फुले और शर्मिला रेगे को पढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों पर “टिप्पणियाँ” और नामांकन का ब्योरा माँगा, जब एक अज्ञात पोस्ट ने उन्हें “ज़हर” कहा था। एक विवेकशील अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि वैधता प्रक्रिया से आती है: नामित विशेषज्ञ समितियाँ, हर परिवर्तन के प्रकाशित कारण और खुली समीक्षा। 3. पुस्तक की कसौटी केवल विषय नहीं, पद्धति है — अनुच्छेद 51A(h) जिज्ञासा की भावना की अपेक्षा करता है। पुस्तक विश्वास और प्रमाण में अंतर करती है, जब वह कहती है कि शिवाजी को देवी तुलजा भवानी से तलवार मिलने की “परंपरागत मान्यता” है। असली परीक्षा यह है कि विद्यार्थी स्रोतों की तुलना करना और प्रमाणों को तौलना सीखते हैं, या उन्हें केवल एक निर्णय थमा दिया जाता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“इतिहास की पाठ्यपुस्तक अतीत के साथ-साथ नागरिकता भी सिखाती है।” NCERT की संशोधित कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि स्कूली पाठ्यचर्या का निर्धारण कैसे होना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों को तौलिए, फिर प्रक्रिया पर निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — पाठ्यपुस्तकें तय करती हैं कि युवा नागरिक राष्ट्र को कैसे देखते हैं — 29 सितंबर का विमोचन: क्रांतियाँ बाहर, मध्यकालीन प्रतिरोध अंदर। 3. मुख्य भाग — संशोधन का पक्ष यूरोप-केंद्रित असंतुलन पर टिका है — अहोम जैसे क्षेत्रीय इतिहास पहले कमज़ोर थे। 4. मुख्य भाग — विरोध का पक्ष खोए हुए विचारों और एकल दृष्टि पर टिका है — स्वतंत्रता और समानता पीछे चले गए; NEP 2020 → NCF-SE → NCERT → SCERT का आरेख बनाइए, जिसमें समीक्षा का स्थान दिखे। 5. मुख्य भाग — वैधता खुली प्रक्रिया और राज्यों की भूमिका पर निर्भर है — मूल्य-वर्धन: अनुच्छेद 51A(h) और 42वाँ संशोधन। 6. निष्कर्ष — जो पुस्तक विद्यार्थियों को प्रमाण तौलना सिखाए, वह हर मत की सेवा करती है — खुली समीक्षा, अनेक स्रोत, राज्यों की स्वतंत्रता।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक राज्य SCERT के निदेशक हैं और आपको तय करना है कि आपका राज्य NCERT की नई कक्षा 9 की पुस्तक अपनाए या नहीं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): शिक्षा समवर्ती विषय है, इसलिए राज्य पुस्तक को अपना सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या अपनी पुस्तक लिख सकता है। मैं उसे इतिहासकारों और शिक्षकों की एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखूँगा और हर निर्णय के कारण दर्ज करूँगा। जहाँ सामग्री विवादित हो, वहाँ मैं उसे पूरी तरह स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय स्रोतों और अनेक मतों वाले पूरे पाठ जोड़ूँगा। रिपोर्ट प्रकाशित करने से निर्णय और शिक्षक, दोनों सुरक्षित रहते हैं।

6.2 महाराष्ट्र के कुछ गाँवों ने 60-70 वर्षों से पंचायत चुनाव में मतदान नहीं किया

मुद्दा Panchayati Raj and local democracy (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • विकास और समता

अब तक की कहानी 73वें संशोधन, 1992 ने नियमित पंचायत चुनाव और महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया; फिर भी कई गाँव अब भी सीटें “निर्विरोध” भर लेते हैं।

समाचार (THE NEWS) पुणे। ग्रामीण महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायत सदस्य 70 वर्ष तक “निर्विरोध” चुने जाते रहे हैं, यानी मतपत्र को दरकिनार करके। सोलापुर ज़िले के अंगार में 60 वर्ष से कोई पंचायत चुनाव नहीं हुआ; पिछले वर्ष जब वह नगर पंचायत बना, तो पूर्व विधायक राजन पाटील की बहु प्राजक्ता पाटील उसकी पहली अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गईं, जबकि विरोधियों ने धमकियों के आरोप लगाए, जिन्हें परिवार नकारता है। कोल्हापुर के पेरीड में, जिसकी आबादी लगभग 3,000 है, 1956 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी चुनाव नहीं हुआ। आदर्श गाँव रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार भी सर्वसम्मति को पसंद करते हैं, हालाँकि 2021 में विपक्षी पैन्लों ने चुनाव लड़ा था। विश्लेषक अशोक चौसाळकर कहते हैं कि अधिकांश गाँवों में “प्रभावशाली राजनीतिक परिवार” ही तय करता है। पूर्व सरपंच अलका कांबळे कहती हैं कि दलित और OBC महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें उन उम्मीदवारों को मिलती हैं “जो आवाज़ नहीं उठाएंगे”। “निर्विरोध” का अर्थ है कि किसी प्रतिद्वंद्वी के नामांकन न भरने या सबके नाम वापस लेने के कारण उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 में स्थानीय शासन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अभिजनों को डर है कि चुनाव परिवारों को बाँटेंगे और पैसा बर्बाद करेंगे → नामांकन के दिन से पहले ही सीटें तय हो जाती हैं → हर सीट पर एक ही उम्मीदवार, इसलिए मतदान नहीं → यह प्रथा “परंपरा” बन जाती है → आरक्षित सीटें आज्ञाकारी उम्मीदवारों को मिलती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. भाग IX पंचायत चुनावों को संवैधानिक दायित्व बनाता है — 73वें संशोधन, 1992 ने भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। अनुच्छेद 243A गाँव के सभी मतदाताओं की ग्राम सभा को मान्यता देता है; अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है, तथा महिलाओं के लिए सीटों और अध्यक्ष पदों का कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सा आरक्षित करता है। अनुच्छेद 243E पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करता है, जिसमें चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले या विघटन के छह माह के भीतर कराए जाते हैं। 2. दो राज्य-स्तरीय निकाय पंचायतों को जीवित रखते हैं: एक चुनाव के लिए, एक धन के लिए — अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है और जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग गठित करे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. प्रश्न अब चुनाव कराने से हटकर उन्हें वास्तविक बनाने पर आ गया है — GS2 में “स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें आने वाली चुनौतियाँ” पूछा जाता है। औपचारिक अधिदेश से आगे अब प्रतिनिधि-प्रतिनिधित्व (Proxy Representation) और अभिजन-कब्ज़ा (Elite Capture) मूल चुनौतियाँ हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 243K: पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है, भारत निर्वाचन आयोग में नहीं। ● अनुच्छेद 243D पंचायत की सीटों और अध्यक्ष पदों का कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिसमें SC और ST की आरक्षित सीटों के भीतर की सीटें भी शामिल हैं। ● अनुच्छेद 243A ग्राम सभा का प्रावधान करता है, जिसमें ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. विचार-विमर्श में सहमति और शासक चुनने में सहमति एक बात नहीं है — जो ग्राम सभा जलग्रहण (Watershed) जैसे विषय पर तब तक बहस करती है जब तक सहमति न बन जाए, वह स्वस्थ है, जैसा हिवरे बाज़ार दिखाता है। सत्ता किसके हाथ में हो, यह चुनना अलग बात है: गुप्त मतदान उस व्यक्ति को, जो सार्वजनिक रूप से आपत्ति नहीं कर सकता, निजी तौर पर आपत्ति करने देता है। नामांकन के दिन से पहले तय हो गई सीट उस एक छिपे हुए क्षण को समाप्त कर देती है। इसके विरुद्ध यह मत कि चुनाव झगड़े पैदा करते हैं और पैसा खर्च करते हैं, स्वच्छ चुनावों का तर्क है, चुनाव न होने का नहीं। 2. दृष्टि — विकास और समता: गाँव के सौहार्द की कीमत उसके सबसे कमज़ोर सदस्य चुकाते हैं — अनुच्छेद 243D के अंतर्गत आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सीट पर कोई दलित या OBC महिला बैठे, यह नहीं कि वह बोले भी। यदि प्रभावशाली परिवार कोई आज्ञाकारी उम्मीदवार चुन ले, तो सीट भर जाती है और उसका उद्देश्य विफल हो जाता है। एक विवेकशील अधिकारी निर्विरोध चुनाव को प्रतिद्वंद्वी की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि इस आधार पर परखेगा कि नाम किसने प्रस्तावित किया। 3. राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने के विकल्प की रक्षा कर सकता है, चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता — निर्विरोध निर्वाचन वैध है, इसलिए जहाँ कोई नामांकन न भरे वहाँ आयोग मतदान का आदेश नहीं दे सकता। वह दबाव को महँगा बना सकता है: नाम वापसी दर्ज करना, धमकियों की जाँच करना, और यह प्रचारित करना कि कोई भी नामांकन भर सकता है। PIB की विज्ञप्ति के अनुसार, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं पर NITI आयोग की 28 सितंबर की “विकसित पंचायत” कार्यशाला एक वास्तविक ग्राम सभा को मानकर चलती है; प्रतिस्पर्धी आवाज़ के बिना योजना प्रभावशाली परिवार की योजना बन जाती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	निर्विरोध ग्राम पंचायत चुनावों को अक्सर गाँव के सौहार्द का संकेत बताया जाता है। महिलाओं और वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में इस दावे का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दावे को एक आयाम, यानी प्रतिनिधित्व, पर परखिए। 2. भूमिका — महाराष्ट्र के गाँव जहाँ 60-70 वर्षों से मतदान नहीं हुआ — अंगार और पेरीड, 20

MAINS QUESTION)

शब्दों में।

3. मुख्य भाग — सहमति झगड़े और खर्च घटा सकती है, जैसा आदर्श गाँव दिखाते हैं — रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार ग्राम सभा में निर्णय लेते हैं।
4. मुख्य भाग — पहले से तय सीटें आरक्षित पद आज्ञाकारी उम्मीदवारों को सौंप देती हैं — मूल्य-वर्धन : अनुच्छेद 243D; प्रवाह-चित्र बनाइए : प्रभावशाली परिवार → उम्मीदवार → कोई मतदान नहीं → मौन आरक्षित सदस्य।
5. निष्कर्ष — चुनाव लड़ने के अधिकार की रक्षा कीजिए — सौहार्द तभी वास्तविक है जहाँ असहमति को खुलकर सामने आने की स्वतंत्रता थी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप ज़िला कलेक्टर हैं। एक दलित महिला आपको बताती है कि गाँव को “निर्विरोध” बनाए रखने के लिए उस पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला गया। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन है, इसलिए मैं उसका दर्ज बयान तुरंत आयोग और रिटनिंग अधिकारी को भेजूंगा। मैं पुलिस से किसी भी धमकी की प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा और उसे सुरक्षा दूंगा, क्योंकि भय ही जबरन सर्वसम्मति का तंत्र है। मैं भविष्य में नाम वापसी को दर्ज भी कराऊंगा। उद्देश्य चुनाव थोपना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी को भी उम्मीदवारी पेश करने से रोका न जाए।

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

साइबर धोखाधड़ी अब भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता अपराध है, और आज के आँकड़े बताते हैं कि यह अनजान लोगों को नहीं, बल्कि इंटरनेट से जुड़े लोगों को निशाना बनाती है। राज्य के बारे में इससे भी कठिन निष्कर्ष यह है कि ठगी का शिकार होने के बाद पैसे की वापसी प्रक्रिया से ज़्यादा रिश्तत या जान-पहचान पर निर्भर करती है। साइबर धोखाधड़ी जितनी प्रौद्योगिकी की परीक्षा है, उतनी ही पुलिस-व्यवस्था की भी।

7.1 NCRB के 2024 के आँकड़ों में साइबर अपराध 17.9% बढ़े, सर्वेक्षण के अनुसार रिकवरी रिश्तत और जान-पहचान से तय होती है

मुद्दा Cyber fraud and 'digital arrest' (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी UPI और स्मार्टफ़ोन के प्रसार के साथ फ़ोन और ऑनलाइन धोखाधड़ी, जिसमें फ़र्जी 'डिजिटल अरेस्ट' भी शामिल है, नागरिकों के अपराध से सामना होने का सबसे आम तरीका बन गई है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में उद्धृत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau – NCRB) के आँकड़ों के अनुसार भारत में साइबर अपराध के मामले 2023 के 86,420 से 17.9% बढ़कर 2024 में 1,01,928 हो गए, जबकि कुल दर्ज अपराध 6% घटे। लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज़ द्वारा 16 राज्यों के 8,306 नागरिकों के बीच किया गया भारत में पुलिस-व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट (Status of Policing in India Report – SPIR) 2026 का सर्वेक्षण छिपे हुए पैमाने को दिखाता है: 13% लोग पिछले दो-तीन वर्षों में पीड़ित रहे, जिनमें से आधे से अधिक वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार थे। कॉलेज स्नातकों (59%) ने औपचारिक शिक्षा से वंचित लोगों (40%) की तुलना में वित्तीय धोखाधड़ी अधिक बताई। शिकायत करने वाले पीड़ितों में से 27% को पुलिस को पैसे देने पड़े, जिनमें ग़रीब पीड़ितों में यह अनुपात 51% था और संपन्न पीड़ितों में 12%। आईआईटी मद्रास के 33 पीड़ितों के अध्ययन में तकनीकी पेशेवर, बैंकर और साइबर सुरक्षा-प्रमाणित विशेषज्ञ भी मिले, जिनमें से कुछ 'डिजिटल अरेस्ट' में फँसे थे, जहाँ अधिकारी बनकर ठग वीडियो पर पीड़ित को फ़र्जी हिरासत में तब तक रखते हैं जब तक पैसे न दे दिए जाएँ।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सस्ता डेटा और UPI करोड़ों को ऑनलाइन लाए → बड़ा डिजिटल दायरा ठगों को शिकार देता है → बहुरूपिए बैंकों और पुलिस पर भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं → पीड़ित स्थानीय अपराध के लिए बने धानों तक पहुँचते हैं → रिश्तत और जान-पहचान तय करती हैं कि पैसा लौटेगा या नहीं।

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को कवर करते हैं — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act) की धारा 66C पहचान की चोरी (किसी और के पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कपटपूर्ण उपयोग) को दंडित करती है और धारा 66D कंप्यूटर संसाधन के प्रयोग से छद्मवेश द्वारा छल को। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita), जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, छल और उद्घापन को कवर करती है, और उसका संगठित अपराध संबंधी प्रावधान उन अपराधों में साइबर अपराध को भी शामिल करता है जो कोई गिरोह कर सकता है।
2. पुलिस राज्य सूची का विषय है, पर साइबर धोखाधड़ी हर सीमा लाँघ जाती है — “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 हैं, इसलिए अन्वेषण राज्य पुलिस के पास है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre – I4C) राज्यों के बीच समन्वय करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल तथा 1930 हेल्पलाइन चलाता है। NCRB, जिसे 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था, वार्षिक ‘भारत में अपराध’ (Crime in India) आँकड़े संकलित करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. साइबर सुरक्षा GS3 पाठ्यक्रम की स्पष्ट पंक्ति है — GS3 में “संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ ... साइबर सुरक्षा की मूल बातें; धन-शोधन और उसकी रोकथाम” दर्ज है; संगठित साइबर धोखाधड़ी और राज्य पुलिस की क्षमता पर प्रश्न इस कार्ड के आँकड़ों से मेल खाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन के प्रयोग से छद्मवेश द्वारा छल को दंडित करती है; धारा 66C पहचान की चोरी को।
- “पुलिस” और “लोक व्यवस्था” सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय हैं।
- NCRB गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; 1930 राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दृष्टिकोण — नवाचार और रक्षोपाय: जागरूकता अभियान उस जोखिम का बोझ नहीं उठा सकते जिसे भुगतान प्रणाली स्वयं पैदा करती है — सर्वेक्षण के लेखक धोखाधड़ी को “कनेक्टिविटी पर कर” कहते हैं। आईआईटी मद्रास का अध्ययन जोड़ता है कि प्रमाणित

	विशेषज्ञों तक में अज्ञान नहीं, बल्कि भय और तनाव 'दिमाग का जम जाना' (brain freeze) पैदा करते हैं। इसलिए 'ऑनलाइन सावधान रहिए' की सलाह रक्षोपाय को गलत जगह रखती है। विवेकशील अधिकारी अवरोध वहाँ लगाएंगे जहाँ जोखिम है: पहली बार के असामान्य अंतरण की बैंक-स्तर पर पहचान और बड़ी रकमों में देरी के ज़रिए, गति की छोटी क्रीम पर। 2. निवारण प्रणाली प्रतिगामी है: गरीब अपना ही पैसा वापस पाने के लिए सबसे ज़्यादा चुकाते हैं — जिन पीड़ितों ने पुलिस को पैसे दिए, उन्हें पूरा पैसा कहीं अधिक बार वापस मिला (41% बनाम 12%), और काम आने वाली निजी जान-पहचान से पूरी वसूली की संभावना लगभग तिगुनी हो गई। महिलाएँ, ग्रामीण और गरीब पीड़ित इन रास्तों का सबसे ज़्यादा सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और उपाय नहीं है, यानी व्यवस्था उन्हीं के लिए सबसे कम काम करती है जिनकी उसे सबसे ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। समाधान है FIR दर्ज करने और बैंक-पुलिस समन्वय को प्रवर्तनीय कर्तव्य बनाना। 3. NCRB की गिनती दिखाई देने वाला सिरा भर है, और संघीय पुलिस-व्यवस्था बाक़ी को छिपा देती है — लगभग एक लाख दर्ज मामले 13% लोगों के पीड़ित होने की बात के आगे अटपटे लगते हैं, और 39% पीड़ितों ने कभी शिकायत ही नहीं की। चुराया गया पैसा मिनटों में राज्यों के आर-पार चला जाता है, जबकि हर राज्य का बल अकेले जाँच करता है। पुलिस का केंद्रीकरण राज्य सूची का अतिक्रमण होगा; बेहतर रास्ता है साझा डेटा, संयुक्त टीम और I4C का ऐसा समन्वय जो थाने तक पहुँचे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“धोखाधड़ी अब लापरवाही पर कर से अधिक कनेक्टिविटी पर कर बन गई है।” भारत में साइबर धोखाधड़ी और उसके पीड़ितों के निवारण में मौजूद कमियों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — विश्लेषण कीजिए — कथन को दो भागों में बाँटिए और प्रत्येक को साक्ष्य पर परखिए। 2. भूमिका — राष्ट्रीय अपराध प्रवृत्ति के विपरीत साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है — NCRB: 2024 में साइबर अपराध 17.9% बढ़कर 1,01,928 हुए, जबकि कुल अपराध 6% घटे। 3. मुख्य भाग — जोखिम कनेक्टिविटी से बढ़ता है, अज्ञान से नहीं — स्नातक अधिक धोखाधड़ी बताते हैं: पेशेवर 'डिजिटल अरेस्ट' में फँस जाते हैं। 4. मुख्य भाग — निवारण में रिश्वत और जान-पहचान का बोलबाला है, सबसे ज़्यादा चोट गरीब को पहुँचती है — मूल्यवर्धन: SPIR 2026, गरीब शिकायतकर्ताओं में से 51% ने पुलिस को पैसे दिए जबकि संपन्न में 12% ने। फ़्लोचार्ट बनाइए: धोखाधड़ी → 1930 पर कॉल → FIR → बैंक द्वारा रोक → वसूली, और जहाँ रिश्वत प्रवेश करती है वह बिंदु चिह्नित कीजिए। 5. मुख्य भाग — राज्यवार पुलिस-व्यवस्था सीमाहीन अपराध को बाँट देती है — I4C समन्वय करता है पर राज्य पुलिस को आदेश नहीं दे सकता। 6. निष्कर्ष — पैसा प्रक्रिया से लौटे, प्रभाव से नहीं — FIR और रोक की प्रवर्तनीय समय-सीमाएँ, बैंक-स्तर पर पहचान, अंतर-राज्यीय संयुक्त टीमें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप पुलिस अधीक्षक हैं और एक सेवानिवृत्त अधिकारी एक घंटे पहले 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी में अपनी जमा-पूँजी गंवाने की सूचना देते हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): वसूली समय पर निर्भर है, इसलिए मैं पहले सुनिश्चित करूँगा कि धोखाधड़ी की सूचना 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज हो ताकि बैंक पैसे का रास्ता रोक सके, और तुरंत FIR दर्ज करवाऊँगा। मैं मामला एक नामित अधिकारी के अधीन साइबर सेल को सौंपूँगा जो उन्हें जानकारी देता रहे, ताकि उन्हें रिश्वत या जान-पहचान की कभी ज़रूरत न पड़े। थानावार वसूली के आँकड़े दिखाएँगे कि मेरी पुलिस काम कर रही है या नहीं।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान, और उसी के आधार पर निरोध का आदेश देने को कहा गया ज़िला मजिस्ट्रेट

परिदृश्य (SCENARIO) सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक हिंसा के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act, NSA) के तहत निरोध आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि सामग्री और संतुष्टि के बीच संबंध “स्पष्ट रूप से अनुपस्थित” है, आदेश को “निवारक से अधिक दंडात्मक” कहा, यह निर्णय दिया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया इकबालिया बयान अकेले ऐसे निरोध का आधार नहीं बन सकता, और राज्य पर ₹10 लाख का जुर्माना (costs) लगाया (द हिंदू, 30 सितंबर)। अब कल्पना कीजिए कि आप उस ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं जहाँ एक झड़प में कई लोग मारे गए हैं। पुलिस अधीक्षक आपके पास एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध NSA का मसौदा आदेश लाते हैं जो पहले से हिरासत में है। उसमें एकमात्र ठोस सामग्री पुलिस के सामने दिया गया उसका इकबालिया बयान है। राज्य मुख्यालय का एक वरिष्ठ अधिकारी फ़ोन पर कहता है कि “लोक व्यवस्था” की माँग है कि आप आज ही हस्ताक्षर करें, और सरकार अदालत में इसका बचाव करेगी।

प्रश्न 1. क्या NSA के अंतर्गत व्यक्तिपरक संतुष्टि पुलिस की फ़ाइल पर सीधे कार्रवाई कर देने का लाइसेंस है, या उसे परखने का कर्तव्य? ज़िला मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार की नैतिक और विधिक सीमाओं की चर्चा कीजिए।

प्रश्न 2. ऊपर से आ रहे दबाव का आप कैसे उत्तर देंगे, और फ़ाइल में क्या दर्ज करेंगे?

प्रश्न 3. यदि आदेश बाद में जुर्माने सहित रद्द हो जाए, तो ज़िम्मेदारी किसकी होनी चाहिए: ज़िला मजिस्ट्रेट की, पुलिस की या राज्य की?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- संतुष्टि ज़िला मजिस्ट्रेट की अपनी होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित** — NSA ज़िला मजिस्ट्रेट को बिना मुकदमे के निरुद्ध करने की शक्ति तभी देता है जब उसे संतुष्टि हो कि किसी व्यक्ति को लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना आवश्यक है। यह संतुष्टि व्यक्तिपरक है, परंतु न्यायालय यह परखते हैं कि क्या खतरे से जीवंत संबंध रखने वाली प्रासंगिक सामग्री उसका समर्थन करती है। हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में अग्राह्य है, और उसके आधार पर निरोध करना बिना मुकदमे के दंड देना है। पूछना चाहिए कि स्वतंत्र, ताज़ा और विशिष्ट सामग्री क्या है।
- ऊपर का दबाव फ़ाइल को और सावधानी से लिखने का कारण है, उसका विकल्प नहीं** — कानून यह शक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट को देता है, मुख्यालय को नहीं। पुलिस से लिखित रूप में पुष्टिकारक सामग्री माँगनी चाहिए, और वह न मिले तो कारण दर्ज करते हुए हस्ताक्षर से इनकार कर देना चाहिए। जो अधिकारी ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर करता है जिसका वह औचित्य नहीं दे सकता, वह उस विवेकाधिकार को छोड़ देता है जिस पर अनुच्छेद 22 के रक्षोपाय टिके हैं।
- जवाबदेही व्यक्तिगत है, और भूल की कीमत सबसे पहले नागरिक चुकाता है** — अवैध निरोध का हर दिन ऐसी स्वतंत्रता का छिन जाना है जिसे कोई जुर्माना वापस नहीं लौटा सकता। कमज़ोर फ़ाइल के लिए पुलिस भी दोषी हो सकती है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला ज़िला मजिस्ट्रेट अपना निर्णय दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। पूछना चाहिए कि क्या कोई कम कठोर उपाय, जैसे सामान्य अभियोजन, पर्याप्त होगा।
- निष्कर्ष — दृढ़ता, पर अवैधता के बिना** — वास्तविक खतरे के विरुद्ध सामान्य कानून के माध्यम से कड़ी पुलिस कार्रवाई का आदेश देना चाहिए, और NSA को केवल उन मामलों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए जिनमें ताज़ा, सत्यापन योग्य सामग्री हो।

केस 2 — एक दिन में हज़ार से ऊपर नाम-हटाने की आपत्तियाँ, और उनमें से हर एक पर निर्णय करने को बाध्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू ने 30 सितंबर को रिपोर्ट किया कि कर्नाटक में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में, Form 10 की वैधानिक रिपोर्ट के अनुसार, कई निर्वाचन क्षेत्रों में नाम हटाने के लिए 4,000 से अधिक Form 7 आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं के नामों के विरुद्ध थे। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन में प्राप्त 1,373 आवेदनों में से 1,363 केवल दस व्यक्तियों ने दिए। कारण बताया गया “अनुपस्थित/स्थायी रूप से स्थानांतरित”। कुछ आवेदनों में मतदाताओं का विवरण पहले से छुपा था और केवल आपत्तिकर्ता का नाम हाथ से लिखा गया था। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले हर आपत्ति की जाँच की जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे ही स्वरूप वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer, ERO) हैं। आपके बूथ स्तर के अधिकारी काम के बोझ से दबे हैं, एक दल शीघ्र नाम हटाने की माँग कर रहा है, दूसरा दल सभी आपत्तियाँ सीधे खारिज करने की, और ज़िला निर्वाचन अधिकारी चाहता है कि लंबित काम शुक्रवार तक निपट जाए।

प्रश्न 1. क्या ERO को आवेदन दाखिल करने के स्वरूप को आपत्तियों के विरुद्ध साक्ष्य मानना चाहिए, या हर नाम का निर्णय उसके अपने तथ्यों पर करना चाहिए? चर्चा कीजिए।

प्रश्न 2. आप गति और वास्तविक निर्वाचक का नाम हटा देने के जोखिम के बीच संतुलन कैसे बनाएँगे, और आपत्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या करेंगे?

प्रश्न 3. कौन-से रक्षोपाय ERO के निर्णय को न्यायालय के समक्ष टिकाऊ बनाते हैं ?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. यह स्वरूप चेतावनी का संकेत है, निर्णय नहीं — दस आवेदक, लगभग एक जैसे प्रपत्र और एक ही बताया गया कारण दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं, किंतु नाम हटाने का निर्णय निर्वाचक के बारे में साक्ष्य पर होता है, आपत्तिकता के बारे में नहीं। सभी आपत्तियाँ खारिज कर देने से गलत निशाना बनाए गए कुछ निर्वाचक बच जाएँगे, पर वास्तव में मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम भी सूची में बने रह सकते हैं। निर्वाचक के प्रति निष्पक्षता और सूची की शुद्धता, दोनों कर्तव्य हैं।
2. किसी भी नाम को हटाने से पहले स्थल पर सत्यापन करें और निर्वाचक को सुनें — क्षेत्रीय सत्यापन कराएँ, हर नामित निर्वाचक को नोटिस दें और सुनवाई का अवसर दें। हर नाम के लिए, चाहे हटाया जाए या रखा जाए, संक्षिप्त सकारण आदेश पारित करें। गलत तरीके से नाम हटाने से बचने की कीमत देरी है, और मताधिकार ऐसा अधिकार है जो मतदान के दिन के बाद लौटाया नहीं जा सकता।
3. दोनों राजनीतिक दबावों को टुकराएँ और आपत्ति की प्रक्रिया की रक्षा करें — सभी दलों के अभिकर्ताओं से एक साथ मिलें और जो कहा गया उसे दर्ज करें, ताकि कोई पक्ष निजी कृपा का दावा न कर सके। संदिग्ध आवेदनों को जाँच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजें, क्योंकि झूठी घोषणा अपराध है, और शॉटकट अपनाने के बजाय अतिरिक्त कर्मचारी माँगें।
4. निष्कर्ष — धीमी सूची गलत सूची से बेहतर है — ERO की वैधता प्रक्रिया से आती है। खुली, सकारण और पुनरीक्षण योग्य प्रक्रिया निर्वाचक और आयोग की विश्वसनीयता, दोनों की रक्षा करती है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 — सदन में क्या लिया जाए, यह अध्यक्ष तय करता है, और “विचाराधीन (sub judge)” एक परिपाटी है	इस अधिनियम ने जम्मू-कश्मीर को विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और उसका अध्यक्ष सदन के नियमों के अंतर्गत प्रस्तावों की ग्राह्यता तय करता है। मुख्य सचिव के माध्यम से भेजे गए जम्मू-कश्मीर के विधि सचिव के पत्र में अध्यक्ष से आग्रह किया गया कि वे राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को विचाराधीन बताकर अस्वीकार कर दें (इंडियन एक्सप्रेस, 30 सितंबर); विचाराधीन होने का नियम एक संसदीय परिपाटी है जो न्यायालय में लंबित विषयों पर बहस को रोकती है, और वह सदन को अपना मत व्यक्त करने से नहीं रोकती।
अनुच्छेद 35A — 1954 में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया	अनुच्छेद 35A को 1954 में अनुच्छेद 370(1) के अंतर्गत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को “स्थायी निवासियों” को परिभाषित करने का अधिकार दिया; 2019 में अनुच्छेद 367 में संशोधन कर राज्य की “संविधान सभा” को उसकी “विधान सभा” पढ़ा गया, जिससे अनुच्छेद 370 का निरसन संभव हुआ।
CAQM अधिनियम, 2021 — दिल्ली-NCR के लिए वैधानिक वायु गुणवत्ता निकाय और उसका संशोधित GRAP	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management, CAQM) CAQM अधिनियम, 2021 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसने पूर्ववर्ती EPCA का स्थान लिया। इसकी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan, GRAP) में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार चार चरण हैं; 29 सितंबर को संशोधित GRAP ने सोनीपत को उन जिलों में जोड़ दिया जहाँ चरण 3 में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल कारों पर रोक है, और आवश्यक वस्तुएँ ले जाने वाले गैर-BS-VI ट्रकों को दी गई छूट वापस ले ली (PIB; द हिंदू)।
विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार के मानक — “आवश्यक भंडार” केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तय करता है	विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वैधानिक निकाय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) प्रत्येक ताप संयंत्र के लिए कोयले का मानक भंडार निर्धारित करता है, जो खदान से उसकी दूरी के अनुसार बदलता है; इंडियन एक्सप्रेस (30 सितंबर) वास्तविक भंडार की तुलना इसी “आवश्यक भंडार” से करता है, और अल नीनो वाले वर्ष में जलविद्युत के कम पड़ने से कोयले पर निर्भरता बढ़ती है।
UNICORN — भारत-जापान की नौसैनिक रडार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संधि	UNICORN का पूरा नाम Unified Complex Radio Antenna है, जो एक नौसैनिक रडार प्रणाली है और जिस पर जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की जुलाई की यात्रा के दौरान भारत और जापान ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; 29 सितंबर को जापान ने भारत से अपनी आंतरिक प्रक्रिया तेज़ करने को कहा (द हिंदू)। दोनों क्वाड (Quad) के सदस्य हैं, जिसे भारत और जापान ने 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्जीवित किया था।
FCRA — विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और 2026 का संशोधन विधेयक	विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act, FCRA), 2010 व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति को नियंत्रित करता है, और उसे पाने के लिए NGO का पंजीकरण अनिवार्य है। संशोधन विधेयक, 2026, जो 25 मार्च को लोक सभा में पेश हुआ और 12 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, एक “नामित प्राधिकारी” की व्यवस्था करेगा जिसमें पंजीकरण रद्द होने पर संपत्तियाँ निहित हो जाएंगी, और अधिकतम कारावास पाँच वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर देगा (PRS के अनुसार)।
अग्रिम अन्वेषण — 2012 का धर्मस्थल मामला, नई SIT के हवाले	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 की धारा 193(9) के अंतर्गत, जो CrPC की धारा 173(8) के समकक्ष है, पुलिस न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी आगे अन्वेषण कर सकती है। 21 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष अन्वेषण दल (SIT) को तीन माह का समय देते हुए 2012 में एक छात्रा के बलात्कार और हत्या को दोबारा जाँच का आदेश दिया, जबकि CBI अदालत ने 2023 में एकमात्र संदिग्ध को बरी कर दिया था (इंडियन एक्सप्रेस)।
अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 — राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर शुल्क	धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन आयातों को प्रतिबंधित करने देती है जिन्हें वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पाता है; यही इस्पात, एल्यूमीनियम और तांबे पर अमेरिकी शुल्कों का आधार है, जिन्हें इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस वर्ष के आरंभ में 25% से दोगुना कर 50% किया गया। रिपोर्ट में दो अन्य साधन हैं: अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (International Emergency Economic Powers Act) और व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122।
केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय — 1891 में स्थापित, संस्कृति मंत्रालय के अधीन	केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (Central Secretariat Library) की स्थापना 1891 में इंपीरियल सचिवालय पुस्तकालय के रूप में हुई थी, 1911 के बाद वह राजधानी के साथ दिल्ली आ गया, और उसका प्रशासन संस्कृति मंत्रालय के पास है। यह कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाद केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है, और अब उसे नए स्थान की आवश्यकता है क्योंकि सेंट्रल विस्टा योजना के अंतर्गत शास्त्री भवन गिराया जा रहा है (इंडियन एक्सप्रेस)।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
टाटा संस — विलय के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230-232 के अंतर्गत अनुमोदन आवश्यक	धाराओं 230-232 के अंतर्गत विलय या समामेलन के लिए बोर्ड, सदस्यों और लेनदारों का अनुमोदन तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal) की मंजूरी चाहिए, और जहाँ लागू हो वहाँ RBI की स्वीकृति भी। टाटा ट्रस्ट्स के प्रस्ताव का उद्देश्य टाटा संस को RBI के NBFC/कोर निवेश कंपनी ढाँचे से बाहर निकालना है, जिसका निर्णय दोनों पक्ष नहीं, बल्कि RBI का आकलन करेगा (द हिंदू)।
यूके और यूरोपीय संघ — ब्रेक्जिट की समयरेखा	यूनाइटेड किंगडम ने जून 2016 के जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में मत दिया, मार्च 2017 में यूरोपीय संघ की संधि के अनुच्छेद 50 को लागू किया और 31 जनवरी 2020 को संघ से बाहर हो गया। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने लिबरपूल में लेबर पार्टी के सम्मेलन में कहा कि “ब्रेक्जिट से लाभ से अधिक हानि हुई है”, और यूके 2027 में G20 की अध्यक्षता करेगा (द हिंदू)।
AFSPA, 1958 — धारा 3 के अंतर्गत “अशांत क्षेत्र” और धारा 6 का संरक्षण	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (Armed Forces (Special Powers) Act), 1958 तब लागू होता है जब किसी क्षेत्र को धारा 3 के अंतर्गत “अशांत” अधिसूचित किया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं; इसके अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए कर्मियों पर अभियोजन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी चाहिए। इसे 1 अक्टूबर 2026 से छह माह के लिए मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में बढ़ाया गया है (द हिंदू)।
ZIPNET — लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों के लिए पुलिस का मंच	ZIPNET एक एकीकृत ऑनलाइन मंच है जिसका उपयोग पुलिस बल लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों की जानकारी प्रसारित करने के लिए करते हैं। एक न्यायालय ने गुरुग्राम में “स्पष्ट लापरवाही” देखी, जहाँ 10 सितंबर को बरामद एक शव का विवरण 16 सितंबर को, यानी उसके दाह-संस्कार के बाद, अपलोड किया गया (इंडियन एक्सप्रेस)।
UAPA, 1967 — धारा 15 “आतंकवादी कृत्य” को परिभाषित करती है	गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act), 1967 की धारा 15 आतंकवादी कृत्य को इस आधार पर परिभाषित करती है कि उसका आशय भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना या लोगों में आतंक फैलाना हो, और साथ में प्रयुक्त साधन भी देखे जाते हैं। एंटीलिया मामले में जमानत देते हुए एक विशेष अदालत ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य उस परिभाषा पर “प्रथम दृष्टया खरा नहीं उतरता” (इंडियन एक्सप्रेस)।
PM-AASHA — किसानों के मूल्य समर्थन की समय योजना	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan, PM-AASHA), जो 2018 में शुरू हुआ, के चार घटक हैं: मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS), निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना का पायलट (PPSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF)। इन्हें लागू करने वाली NAFED ने अपनी 69वीं वार्षिक आम बैठक की (इंडियन एक्सप्रेस)।
श्रम संहिताएँ — चार संहिताएँ, 21 नवंबर 2025 से लागू	चार श्रम संहिताएँ हैं: मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020। ये 21 नवंबर 2025 को प्रभावी हुईं और केंद्रीय नियम 8 मई 2026 को अधिसूचित किए गए (29 सितंबर की PIB विज्ञप्ति)।
सेवा उत्पादन सूचकांक — MoSPI का नया मासिक संकेतक, परीक्षण के आधार पर	सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production, ISP) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा परीक्षण के आधार पर प्रकाशित किया जाता है, और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इसमें सेवाओं के 19 उप-क्षेत्र शामिल हैं। ये 19 उप-क्षेत्र भारत के सेवा क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत हैं।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 30 सितंबर 2026 से ली गई है; जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरा तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.2 (10 अंक, 150 शब्द)

परीक्षण कीजिए कि ऑनलाइन निर्वाचक सूची मंचों की संरचना भारत में मतदान के अधिकार को कैसे सुदृढ़ या दुर्बल कर सकती है।
(10 अंक, 150 शब्द)

भूमिका — अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है, पर मतदान सूची में नाम से शुरू होता है। ECINET पोर्टल पर पुनरीक्षण से अब नाम जुड़ेगा या कटेगा, सॉफ्टवेयर तय करता है।

- अच्छी संरचना पहुँच बढ़ाती है** — ऑनलाइन Form 6 पहली बार के मतदाता को ERO के पास जाने से बचाता है; सार्वजनिक Form 10 सूचियाँ आपत्तियों की जाँच संभव बनाती हैं।
- खराब संरचना चुपचाप कानून बदलती है** — एक IT परिवर्तन ने दादा-दादी के विवरण सहित SIR घोषणा हर जगह ऑनलाइन Form 6 में अनिवार्य कर दी, जबकि 1960 के नियम केवल केंद्र बदल सकता है। यह पुट्टास्वामी की आवश्यकता-कसौटी पर भी विफल है।
- सीमा के अभाव में थोक में नाम कटते हैं** — ECINET दैनिक 10 आपत्तियों की सीमा अनदेखी करता है; बाबलेश्वर में 10 लोगों ने एक दिन में 1,373 में से 1,363 Form 7 आपत्तियाँ दीं, बोझ मतदाताओं पर आया।

निष्कर्ष — आयोग का निर्णय पलटना स्व-सुधार दिखाता है। आगे: वैधानिक सीमाएँ कोड में जोड़ें, नई शर्तें नियम से अधिसूचित करें, मंच का स्वतंत्र अंकेक्षण हो। कोड कानून का अनुसरण करे।

यह बनाइए: Form 7 का प्रवाह-चित्र: ECINET में दाखिल करना → Form 10 की सार्वजनिक सूची → नोटिस → सुनवाई → ERO का सकारण आदेश; जहाँ दैनिक सीमा के अभाव में थोक आपत्तियाँ घुस जाती हैं; वहाँ क्रॉस का निशान लगाएँ।

(148 शब्द)

11.2 GS1 कोना — इतिहास: अहोम राज्य और सराईघाट का युद्ध (1671)

आज का संदर्भ: 6.1

- अहोमों ने ब्रह्मपुत्र घाटी में टिकाऊ राज्य बनाया** — पटकाई पहाड़ियों के पार से आए ताई राजकुमार सुकाफा ने 1228 में इसकी स्थापना की; यह लगभग छह शताब्दियों तक चला। इसकी पाइक प्रथा वयस्क पुरुषों को श्रम या शास्त्र द्वारा राज्य की सेवा के लिए बाध्य करती थी।
- सराईघाट भू-आकृति के बल पर जीता गया नदी का युद्ध था** — 1671 में आमेर के कछवाहा राजा राम सिंह के नेतृत्व में एक मुगल सेना ने गुवाहाटी को फिर से जीतने का प्रयास किया। अहोम सेनापति लाचिit बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र के एक संकरे हिस्से में लड़ाई लड़ी, जहाँ मुगलों की संख्या का महत्व कम रह गया और अहोम नौकाएँ आसानी से चल सकती थीं, और उन्होंने विजय पाई।
- असम केवल 1826 में अंग्रेज़ों के हाथ गया** — दरबारी कलह के बाद बर्मी आक्रमण हुए; प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध के बाद यांदाबू की संधि (1826) ने असम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- लाचिit बोरफुकन की विजय 24 नवंबर को लाचिit दिवस के रूप में मनाई जाती है।
- चराईदेव के मोड़दाम, अहोम राजाओं के टीलेनुमा समाधि-स्थल, 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बने।
- बुरंजियाँ पहले ताई-अहोम भाषा में और बाद में असमिया में लिखी गईं।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी द्वीप; छह डिग्री जलमार्ग (Six Degree Channel) इसे सुमात्रा (इंडोनेशिया) से अलग करता है।	केंद्र ने परियोजना के लिए FRA की सहमति पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाईयों पर सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन माँगा (5.1)।	भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं है; कैम्पबेल बे और गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान भी इसी द्वीप पर हैं।
वसुंधरा ताल, चमोली (Vasundhara Tal, Chamoli)	उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का चमोली ज़िला, जो तिब्बत (चीन) से लगा है; इसका जल अलकनंदा में जाता है।	उत्तराखंड की पहली हिमनद-झील पूर्व चेतावनी प्रणाली का स्थल (5.2)।	चमोली में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बगहा, पश्चिम चंपारण (Bagaha, West Champaran)	उत्तर-पश्चिम बिहार में गंडक के किनारे, नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पास।	नेपाल से आई गंडक की आकस्मिक बाढ़ ने यहाँ 91.25 मीटर का रिकॉर्ड स्तर बनाया (5.2)।	पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य और गंडक पर वाल्मीकिनगर बैराज है।
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (Orang National Park)	असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर, काज़ीरंगा के पश्चिम में, जो दक्षिणी तट पर है।	यहाँ बहाल किए गए घास के मैदानों ने पिग्मी हाँग को वापस लौटाया (5.3)।	ओरंग एक बाघ अभयारण्य भी है, और एक सींग वाले गैंडों के कारण 'मिनी काज़ीरंगा' कहलाता है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)

अर्थ — जो सही लगे उसे करना या कहना, तब भी जब उसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, जैसे वरिष्ठों या सहकर्मियों की नाराज़गी। लोक सेवा में यह प्रायः मौन रूप में होता है: फ़ाइल पर असहमति दर्ज करना या किसी गैरकानूनी निर्देश को मानने से इनकार करना।

आज के समाचार में — दो निर्वाचन आयुक्तों ने मई और अगस्त में SIR राज्यों के बाहर लागू किए गए Form 6 के एक प्रावधान पर लिखित आपत्तियाँ दर्ज कीं, और आयोग ने उसे पलट दिया (1.2)। इसके विपरीत 1.1 में समीक्षा की चार परतों ने एक कमज़ोर NSA आदेश को पास कर दिया।

उत्तर में उपयोग — वरिष्ठों या सहकर्मियों के दबाव वाले केस स्टडी में: मौन अनुपालन के बजाय दर्ज, सकारण असहमति को उचित ठहराने के लिए इसका प्रयोग करें।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

पुस्तकालय उत्तर सँजोकर रखता है; विश्वविद्यालय उन उत्तरों को परखने के लिए होता है। उसकी असली उपज उपाधि नहीं, बल्कि सोचने की एक आदत है: यह पूछने की तत्परता कि कोई दावा कैसे जाना गया, और साक्ष्य बदलने पर अपना मत बदल लेने की तैयारी।

यह आदत नाज़ुक होती है। यह प्रायः नाटकीय प्रतिबंधों से नहीं मिलती। यह तब धीरे-धीरे क्षीण होती है जब विद्यार्थी अनेक छोटे संकेतों से सीख लेते हैं कि कुछ प्रश्न अवांछित हैं। कोई शिक्षक किसी विषय से इसलिए बचता है कि शिकायत आ सकती है, कोई शोधकर्ता किसी निष्कर्ष को इसलिए नरम कर देता है कि प्रायोजक को असुविधा हो सकती है, कोई विद्यार्थी इसलिए चुप रहता है कि असहमति अनादर जैसी दिखती है: इनमें से किसी को दंड नहीं मिलता, फिर भी हर एक उस स्वतंत्रता का थोड़ा अंश छोड़ चुका होता है जिसकी रक्षा के लिए संस्था बनी थी। आत्म-संश्लेषण इसीलिए कारगर है कि उसे किसी संसर की ज़रूरत नहीं पड़ती।

अकादमिक जीवन में समारोह का अपना स्थान है। दीक्षांत समारोह, शपथ और परंपराएँ समुदाय को निरंतरता का बोध देती हैं। कठिनाई तब आती है जब श्रद्धा का रूप विचार की अंतर्वस्तु को नियंत्रित करने लगे, और पद के प्रति आदर को ज्ञान के प्रति सम्मान समझ लिया जाए। कोई वैज्ञानिक अपने गुरु का सम्मान करते हुए भी उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है; इसी तरह विषय आगे बढ़ते हैं।

इसलिए विश्वविद्यालय चलाने वालों पर विशेष दायित्व है। उनकी नियुक्तियाँ, नियम और सार्वजनिक आचरण किसी भी पाठ्यक्रम से अधिक ज़ोर से सिखाते हैं। यदि नेतृत्व कठोरता के बजाय निष्ठा को पुरस्कृत करता है, तो विद्यार्थी यही निष्कर्ष निकालेंगे कि सफलता तर्क करने से नहीं, प्रसन्न करने से मिलती है। जो समाज स्वतंत्र निर्णय में सक्षम नागरिक चाहता है, वह इस लक्ष्य को संविधान के किसी खंड के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसे ऐसी संस्थाएँ बनानी होंगी जहाँ संदेह सुरक्षित हो, तर्क-वितर्क सामान्य बात हो और सुधारे जाना अपमान न हो।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है?

- विश्वविद्यालयों को समारोह समाप्त कर देने चाहिए क्योंकि वे स्वतंत्र चिंतन को दबाते हैं।
- अकादमिक स्वतंत्रता औपचारिक नियमों से कम, और ऐसी संस्कृति पर अधिक निर्भर है जिसमें प्रश्न पूछना सुरक्षित हो।
- विश्वविद्यालयों में आत्म-संश्लेषण मुख्यतः सरकारी प्रतिबंधों के कारण होती है।
- ज्ञान को सुरक्षित रखने में पुस्तकालय विश्वविद्यालयों से बेहतर हैं।

Q2. यह कथन कि नेतृत्व का आचरण 'किसी भी पाठ्यक्रम से अधिक ज़ोर से सिखाता है', इस मान्यता पर टिका है कि

- विद्यार्थी इससे सीखते हैं कि संस्था वास्तव में जैसा व्यवहार करती है, उसमें किसे पुरस्कार मिलता है।
- विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम खराब ढंग से बने हैं।
- विश्वविद्यालयों के नेतृत्व की नियुक्ति केवल निष्ठा के आधार पर होती है।
- विद्यार्थी संविधान नहीं पढ़ते।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष गद्यांश से निकाला जा सकता है?

- किसी शिक्षक का सम्मान करने के लिए उसके निष्कर्षों को स्वीकार करना आवश्यक है।
- स्वतंत्र चिंतन को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त है।
- जिस शोधकर्ता को कभी दंडित नहीं किया गया, उसने भी अकादमिक स्वतंत्रता का कुछ अंश खो दिया हो सकता है।

(d) विश्वविद्यालय की परंपराएँ सदैव वैज्ञानिक जाँच को कमज़ोर करती हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. RDI का सुलभ ऋण किसी परियोजना की लागत के अधिकतम 50% को कवर करता है; शेष राशि फ़र्म को निजी स्तर पर जुटानी होती है। एक परियोजना की लागत ₹84 करोड़ है और फ़र्म ने ₹30 करोड़ जुटा लिए हैं। पूरा ऋण पाने के लिए उसे निजी स्तर पर और कितना जुटाना होगा ?

- (a) ₹6 करोड़
- (b) ₹12 करोड़
- (c) ₹42 करोड़
- (d) ₹54 करोड़

Q5. कथन : सभी सूचीबद्ध हिमनद झीलें निगरानी वाली झीलें हैं। कुछ निगरानी वाली झीलों में सायरन हैं। निष्कर्ष : I. कुछ सूचीबद्ध हिमनद झीलें में सायरन हैं। II. कुछ निगरानी वाली झीलें सूचीबद्ध हिमनद झीलें हैं।

- (a) केवल I अनुसरण करता है
- (b) न तो I और न ही II अनुसरण करता है
- (c) I और II दोनों अनुसरण करते हैं
- (d) केवल II अनुसरण करता है

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश दिखाता है कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति छोटे संकेतों से क्षीण होती है और नेतृत्व से संदेह को सुरक्षित बनाने को कहता है। A आकर्षक है पर गलत है : समारोह का 'अपना स्थान है'। C 'नाटकीय प्रतिबंधों से प्रायः नहीं मिटती' का खंडन करता है; D केवल एक गौण तुलना है।

Q2: (a) यह कथन तभी टिकता है जब विद्यार्थी केवल पाठ्य-सामग्री से नहीं, वास्तविक आचरण से सीखते हों। C आकर्षक है, पर गद्यांश 'यदि नेतृत्व निष्ठा को पुरस्कृत करता है' कहता है, जो एक शर्त है, तथ्य नहीं; B और D अकथित हैं।

Q3: (c) दूसरा अनुच्छेद कहता है कि आत्म-संश्लेषण करने वालों को दंड नहीं मिलता, फिर भी वे स्वतंत्रता छोड़ चुके होते हैं। A 'गुरु का सम्मान करते हुए भी उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है' का खंडन करता है; B अंतिम अनुच्छेद का खंडन करता है; D बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहता है, क्योंकि समारोह का 'अपना स्थान है'।

Q4: (b) अधिकतम ऋण = 84 का 50% = ₹42 करोड़, अतः फ़र्म का अंश = 84 - 42 = ₹42 करोड़। अभी और चाहिए = 42 - 30 = ₹12 करोड़। जाँच : 30 + 12 + 42 = 84। ₹54 करोड़ पूरी लागत में से 30 घटा देने की चूक वाला जाल है।

Q5: (d) 'सभी सूचीबद्ध झीलें निगरानी वाली हैं' का परिवर्तन 'कुछ निगरानी वाली झीलें सूचीबद्ध झीलें हैं' होता है, इसलिए II अनुसरण करता है। सायरन वाली निगरानी झीलें पूरी तरह सूचीबद्ध समूह के बाहर हो सकती हैं, इसलिए I अनुसरण नहीं करता।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

असहमति का अभाव, सहमति की उपस्थिति नहीं है।

विषय (Themes): लोकतंत्र और सहमति • स्वतंत्रता और राज्य • स्मृति, ज्ञान और प्रकृति

कोल्हापुर ज़िले का पेरिड लगभग 3,000 लोगों का गाँव है, जहाँ 1956 के बाद से पंचायत का कोई चुनाव मुक्राबले से नहीं हुआ। बाहर से देखने वाला इसे लोकतंत्र का सबसे सुंदर रूप मान सकता है: एक ऐसा गाँव जो इतना एकजुट है कि उसे मतपत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर इसी इलाके की एक पूर्व सरपंच, अलका कांबले, इसकी कम सुखद व्याख्या करती हैं। उनके अनुसार ऐसे गाँवों में दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें उन उम्मीदवारों को मिलती हैं “जो अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगी”। दोनों व्याख्याएँ एक ही चुप्पी की हैं। जब कोई आपत्ति नहीं करता, तब हम अभी यह नहीं जानते कि लोग सहमत हैं, या उनसे पूछा ही नहीं गया, या उन्हें पता ही नहीं था, या उनमें बोलने का साहस नहीं था।

इस निबंध का तर्क है कि चुप्पी तब तक किसी बात का प्रमाण नहीं है, जब तक हम यह न जान लें कि वह पैदा कैसे हुई। सहमति की तीन शर्तें हैं: इनकार करना संभव हो, व्यक्ति के पास इनकार करने लायक जानकारी हो, और इनकार की क्रीमत मान लेने की क्रीमत से अधिक न हो। इनमें से कोई एक भी शर्त न हो, तो असहमति का अभाव सहमति का नहीं, सत्ता का दस्तावेज़ बन जाता है। जो राज्य चुप्पी को स्वीकृति मान लेता है, वह एक जाली हस्ताक्षर के सहारे शासन करता है। परिपक्व राज्य इससे कठिन काम करता है: वह ऐसी परिस्थितियाँ रचता है जिनमें चुप्पी का अर्थ सचमुच ‘हाँ’ हो सके।

यह भूल सबसे पुरानी राजनीति में दिखती है। टैसिटस की कृति ‘एग्रिकोला’ में कैलेडोनिया का सरदार कैलगेकस रोम के बारे में कहता है “वे वीराना रच देते हैं और उसे शांति कह देते हैं।” सोवियत संघ के चुनावों में हर मतपत्र पर एक ही स्वीकृत उम्मीदवार होता था, नतीजे 99 प्रतिशत से ऊपर आते थे, और सत्ता उन्हें जनता की सहमति बताती थी। भारतीय कानून में इसका एक शांत रूप है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) की धारा 53(2) के अनुसार, यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर हो, तो निर्वाचन अधिकारी बिना मतदान के उन्हें निर्वाचित घोषित कर देता है। अप्रैल 2024 में सूरत में यही हुआ: मुख्य प्रतिद्वंद्वी का नामांकन रद्द हुआ, बाक्री ने नाम वापस ले लिए, और एक भी वोट पड़े बिना लोकसभा सदस्य निर्वाचित घोषित हो गया। उच्चतम न्यायालय ने PUCCL बनाम भारत संघ (2013) में मतदाताओं को NOTA का बटन दिया, पर जहाँ मतदान ही न हो, वहाँ बटन दबाने का अवसर कहाँ? सोलापुर ज़िले के अंगर में साठ वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, और नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष धमकियों के आरोपों के बीच निर्विरोध चुनी गई; उनका परिवार इन आरोपों से इनकार करता है। मुक्राबला ही वह तंत्र है जो चुप्पी को चुनाव में बदलता है। उसके बिना हम नहीं जानते कि चुप्पी का अर्थ क्या है।

सबसे गहरी चुप्पी निरुद्ध व्यक्ति की होती है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं रोकता कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि कार्यपालिका को आशंका है कि वह क्या कर सकता है; और आदेश बनने से पहले वह आपत्ति भी नहीं कर सकता। आपातकाल में उच्चतम न्यायालय ने ADM जबलपुर (1976) में कहा कि जब तक अनुच्छेद 21 के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित है, कोई निरुद्ध व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका नहीं ला सकता। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना अकेले असहमत रहे। उन्होंने लिखा कि जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता के बिना “अराजक समाज और विधि से शासित समाज के बीच का अंतर अपना सारा अर्थ खो देगा।” अदालत के बाहर सड़कें शांत थीं, और विनोबा भावे ने उस दौर को “अनुशासन पर्व” कहा। पुट्टास्वामी (2017) में जाकर नौ न्यायाधीशों ने माना कि ADM जबलपुर का निर्णय ग़लत था। इसी सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने संभल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हुआ एक निरोध रद्द किया, जो पुलिस हिरासत में दिए गए इक़बालिया बयान पर टिका था, और उत्तर प्रदेश को ₹10 लाख देने का आदेश दिया। हिरासत में निकलवाया गया इक़बाल सहमति का लबादा ओढ़े चुप्पी का सबसे शुद्ध उदाहरण है: शब्द तो हैं, पर वह स्वतंत्रता नहीं जो उन्हें अर्थ देती।

किसी समाज को समय के पार भी चुप कराया जा सकता है। 1835 के अपने ‘शिक्षा संबंधी स्मरण-पत्र’ (Minute on Education) में टॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने घोषणा की थी कि “किसी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है।” भारतीय ज्ञान उनके लिए इसलिए मौन था कि वे उसे पढ़ ही नहीं सकते थे। जॉर्ज ऑरवेल ने इसके आगे का खतरा पहचाना “जो अतीत पर नियंत्रण रखता है, वह भविष्य पर नियंत्रण रखता है; जो वर्तमान पर नियंत्रण रखता है, वह अतीत पर नियंत्रण रखता है।”

हर पाठ्यपुस्तक एक चयन होती है। NCERT की कक्षा 9 की नई पुस्तक फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों के अध्याय हटाती है और 1000-1700 ई. को “प्रतिरोध और लचीलेपन” के काल के रूप में रखती है। समर्थक कहते हैं कि पुराने पाठ्यक्रम में यूरोप को अहोमों से अधिक पन्ने मिलते थे; आलोचक कहते हैं कि सामासिक संस्कृति पीछे छूट गई है। यहाँ प्रश्न यह नहीं कि कौन-सा चयन सही है, बल्कि यह कि चौदह वर्ष की कोई विद्यार्थी उस अतीत से असहमत नहीं हो सकती जो उसे कभी दिखाया ही नहीं गया। जापान में इतिहासकार इएनागा साबुरो ने अपनी पाठ्यपुस्तक की सरकारी जाँच के विरुद्ध 1965 से 1997 तक मुकदमे लड़े। पाठ्यक्रम सहमति तभी अर्जित करता है, जब इतिहासकार, राज्य और शिक्षक खुले में उस पर बहस कर सकें।

धरती स्वयं आपत्ति नहीं कर सकती, इसलिए उसे सबसे आसानी से गलत पढ़ा जाता है। भारत के प्रशासनिक अभिलेखों ने लंबे समय तक खुले घास के मैदानों को ‘बंजर भूमि’ (wasteland) की श्रेणी में रखा है, जबकि घास के मैदान पृथ्वी के स्थलीय कार्बन का लगभग एक-तिहाई संचित रखते हैं। PNAS में छपा एक नया अध्ययन बताता है कि प्राचीन घास के मैदान एक बार नष्ट हो जाएँ तो कम से कम एक सदी तक अपना पुराना स्वरूप नहीं लौटा पाते। जिन पशुपालकों ने उन पर पीढ़ियों तक पशु चराए, उनसे कभी पूछा नहीं गया। और जब सचमुच पूछा जाता है, तो उत्तर चौंका सकता है। 2013 में उच्चतम न्यायालय ने नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन का फ़ैसला डोंगरिया कोंध समुदाय की ग्राम सभाओं पर छोड़ा, और बारहों ग्राम सभाओं ने ‘ना’ कहा। इसीलिए ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति पर अदालत में चल रहा विवाद महत्वपूर्ण है: किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तब तक सहमति नहीं है, जब तक हस्ताक्षर करने वाले यह न जानते हों कि वे क्या छोड़ रहे हैं और इनकार करने के लिए स्वतंत्र न हों।

विपक्ष का तर्क भी निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है। पुरानी विधिक सूक्ति है, *qui tacet consentire videtur*, यानी जो चुप है, उसे सहमत माना जाता है। जॉन लॉक ने अपनी ‘सेकंड ट्रीटाइज़’ (1689) में कहा कि जो कोई किसी सरकार का संरक्षण भोगता है, वह उसे मौन सहमति (tacit consent) देता है। कोई भी राज्य हर नागरिक से हर बात पर परामर्श नहीं कर सकता, और निर्विरोध उम्मीदवार सचमुच लोकप्रिय भी हो सकता है। रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार जैसे आदर्श गाँव सर्वसम्मति को इसलिए महत्व देते हैं कि वह उन्हें गुटबाज़ी से बचाती है। यह सब सच है, पर इससे उतना सिद्ध नहीं होता जितना लगता है। लॉक की मौन सहमति यह मानकर चलती थी कि व्यक्ति छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र है। अल्बर्ट हर्शमैन ने ‘एग्जिट, वॉइस, एंड लॉयल्टी’ (1970) में दिखाया कि चुप्पी निष्ठा हो सकती है, पर तभी जब छोड़ जाने (exit) और आवाज़ उठाने (voice) के विकल्प वास्तविक हों; जहाँ दोनों बंद हों, वहाँ चुप्पी न निष्ठा है, न सहमति। सर्वसम्मति तब मूल्यवान है जब उसे चुना गया हो, और चुने जाने का प्रमाण यह है कि मुकाबला संभव बना रहा। 2021 में रालेगण सिद्धि और हिवरे बाज़ार में विपक्षी पैनलों ने चुनाव लड़ा भी। स्वस्थ सर्वसम्मति की यही पहचान है: उसे तोड़ा जा सकता था।

उपाय यह है कि असहमति सस्ती और दृश्यमान बने। निर्विरोध चुनावों में एक साथ बड़ी संख्या में नाम वापसी की उतनी ही बारीक जाँच हो, जितनी किसी विवादित मतगणना की होती है। निरोध के मामलों में सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति को औपचारिकता के लिए नहीं, सचमुच सुनें। पाठ्यपुस्तकें खुले परामर्श से बदली जाएँ। घास के मैदानों को पारितंत्र के रूप में गिना जाए, और वन अधिकार अधिनियम की ग्राम सभा सहमति को भरा जाने वाला फ़ॉर्म नहीं, सचमुच पूछा गया प्रश्न माना जाए। पेरिड की कसौटी यह नहीं कि वह मतदान करता है या नहीं, बल्कि यह कि क्या वह कर सकता है, और क्या आरक्षित सीट पर बैठी महिला बिना क्रीमत चुकाए बोल सकती है। रोम ने वीराने को शांति कहा था। लोकतंत्र को यह भ्रम अस्वीकार करना होगा। उसे चुप्पी को उत्तर नहीं, एक अनुत्तरित प्रश्न मानना चाहिए, और लोगों को उसका उत्तर देने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): महाराष्ट्र के कुछ गाँवों में 60-70 वर्षों से पंचायत चुनाव में मतदान ही नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने संभल के आरोपी का NSA निरोध रद्द किया; कहा, पुलिस हिरासत का इकबालिया बयान आधार नहीं बन सकता। NCERT की कक्षा 9 की नई पुस्तक में यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय ‘प्रतिरोध’ नष्ट हुए प्राचीन घास के मैदानों को उबरने में सदी से अधिक लगता है: PNAS अध्ययन; पारिस्थितिकीविद् ने पुनर्स्थापन कार्यक्रम माँगा। ग्रेट निकोबार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई रोकने को केंद्र उच्चतम न्यायालय पहुँचा, याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल